

जमा बीमा निगम

संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित



प्रत्येक जमाकर्ता को प्रत्येक बीमाकृत
बैंक में रहनेवाली 10,000 रुपयों तक
की उसकी जमाराशियों के भुगतान
की गारंटी दी जाती है।

नवम्बर
वर्षिक रिपोर्ट

31 दिसंबर 1970 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
निदेशकों की रिपोर्ट, तुलनपत्र और लेखे।

जमा बीमा निगम, बम्बई

की ओर से सादर भेंट

जमा बीमा निगम

निदेशक बोर्ड

अध्यक्ष

श्री एस. जगन्नाथन
गवर्नर, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया,
बम्बई ।

निदेशक

श्री एस. एस. शिरालकर
उप-गवर्नर, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया,
बम्बई ।

श्री डी. एन. घोष
निदेशक, वित्त मंत्रालय,
बैंकिंग विभाग,
भारत सरकार ।

श्री व्ही. एच. वीरा

मनेजर

श्री एम. जे. अम्बानी

बैंकर

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया

लेखा परीक्षक

मेसर्स के. एस. अय्यर एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
49, अपोलो स्ट्रीट,
बम्बई- 1

रजिस्टर्ड कार्यालय

विद्युत भवन,
पाठकवाड़ी, जी. टी. अस्पताल के सामने,
पोस्ट बैग सं. 2810,
बम्बई-2

प्रेषण-पत्र

जमा बीमा निगम

विद्युत भवन
पाठकवाड़ी, जी. टी. अस्पताल के सामने,
पोस्ट बैग सं. 2810,
बम्बई-2

496/जबीनि. 50बी-71

31 मार्च 1971

10 चैत्र 1893 (शक)

सचिव,
रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया,
केन्द्रीय कार्यालय,
बम्बई ।

प्रिय महोदय,

जमा बीमा निगम अधिनियम 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में निदेशक बोर्ड ने मुझे इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ भेजने का निदेश दिया है :—

- (1) 31 दिसंबर 1970 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निगम का तुलनपत्र और लेखे तथा उनके साथ लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट ;

और

- (2) वर्ष 1970 के लिए निगम के कामकाज के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट ।

भवदीय

एम. जे. अम्बानी
मैनेजर

सामान्य

निदेशक बोर्ड, जमा बीमा निगम अधिनियम, 1961 का धारा 32(1) के अधीन इसके जरिये 31 दिसंबर 1970 को समाप्त हुए वर्ष के लिए जमा बीमा निगम (ज. बी. निगम) के कामकाज की नवम वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

2. किसी बीमाकृत बैंक में एक ही हैसियत और एक ही अधिकार में रहनेवाली जो अदत्त बकाया राशियाँ किसी जमाकर्ता को देय होती हैं उनके लिए बीमा की रक्षा-राशि की जो सीमा 1 जनवरी 1968 को 1,500 रु. से बढ़ाकर 5,000 रु. कर दी गयी थी, उसे 1 अप्रैल 1970 को और बढ़ाकर 10,000 रु. कर दिया गया। बीमा की रक्षा-राशि निगम द्वारा विदेशी सरकारों, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, वाणिज्य बैंकों तथा भारत के बाहर से प्राप्त जमाराशियों का बीमा नहीं किया जाता और न ही इन जमाराशियों को बीमाकृत बैंकों द्वारा देय (कवर) और बीमा-किस्त की दर बीमा-किस्त के निर्धारण के लिए हिसाब में गिना जाता है। स्वायत्त अथवा विधिक निकायों, अर्ध-सरकारी निकायों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों, सरकारी उपक्रमों और निगमों की जमाराशियों का बीमा किया जाता है तथा बीमा-किस्त की अदायगी के लिए उनकी जमाराशियाँ निर्धारणीय होती हैं। 1970 के अंत में बीमाकृत बैंकों की बीमा न की जाने वाली जमाराशियों का उनकी कुल जमाराशियों से प्रतिशत 4.3 था।

बीमाकृत बैंकों की निर्धारणीय जमाराशियों के प्रत्येक सौ रुपयों पर उनके द्वारा देय 5 पैसे वार्षिक बीमा-किस्त की दर भी ज्यों की त्यों बनी रही।

3. निगम द्वारा बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं को वर्षानुवर्ष प्रदान किये गए संरक्षण का आकार निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है :

(राशि करोड़ रुपयों में)

नीचे दिये गये माह के अंतिम शुक्रवार को	पूर्णतः संरक्षित खाते (अर्थात् वे खाते जिनमें बकाया जमा-राशि 1967 के अंत तक 1,500 रु. तक 5,000 रु. और उसके बाद 10,000 रु. से अधिक नहीं थी)	खातों की कुल संख्या	(2) से (3) का प्रतिशत	बीमाकृत जमा-राशियाँ (अर्थात् 1967 के अंत तक सभी खातों में 1,500 रु. तक और 31-3-1970 तक 5,000 रु. तक और उसके बाद 10,000 रु. तक की जमाराशियाँ)	बीमा-किस्त के लिए निर्धारणीय कुल राशि	(5) से (6) का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
दिसंबर 1961	55,41,625	70,58,448	78.5	392.32	1,693.75	23.1
सितंबर 1962	59,77,420	77,03,548	77.6	448.00	1,895.27	23.6
सितंबर 1963	66,52,066	85,86,932	77.5	500.16	2,106.78	23.7
सितंबर 1964	76,26,226	98,37,176	77.5	574.37	2,437.29	23.6
सितंबर 1965	88,97,805	1,15,75,916	76.9	690.62	2,743.94	25.2
सितंबर 1966	1,03,64,153	1,35,63,618	76.4	824.29	3,236.31	25.5
सितंबर 1967	1,18,66,532	1,55,25,841	76.4	942.91	3,603.49	26.2
सितंबर 1968	1,59,52,273	1,75,47,550	90.9	2,022.79	4,011.88	50.4
सितंबर 1969	1,86,09,051	2,05,01,104	90.8	2,374.05	4,670.08	50.8
सितंबर 1970*	2,31,65,196	2,40,39,881	96.4	3,376.28	5,457.19	61.9

(चार्ट I और II)

* ये आँकड़े अनन्तिम हैं।

4. यह देखा जा सकता है कि बीमा-किस्त के लिए निर्धारणीय जमाराशियों में 1961-70 के दौरान उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। कुल बीमाकृत जमाराशियों से कुल निर्धारणीय जमाराशियों का जो प्रतिशत 1967 में 26.2 था, वह पहली जनवरी 1968 से बीमा रक्षा-राशि की सीमा प्रति जमाकर्ता 1,500 रु. से बढ़ाकर 5,000 रु. किये जाने के फलस्वरूप तेज़ी से बढ़कर 1968 में 50.4 हो गया तथा 1969 में और बढ़कर वह 50.8 हो गया। बीमाकृत जमाराशियाँ 1 अप्रैल 1970 से बीमा रक्षा-राशि की सीमा 10,000 रु. हो जाने के फलस्वरूप कुल बीमाकृत जमाराशियों का कुल निर्धारणीय राशियों से प्रतिशत और बढ़कर 61.9 हो गया है। पूर्णतः संरक्षित खातों से जमाखातों की कुल संख्या का जो प्रतिशत 1967 के 76.4 से बढ़कर 1968 में 90.9 हो गया था, वह 1969 में थोड़ा सा घटकर 90.8 हो गया किन्तु उपर्युक्त कारणों से वह 1970 में बढ़कर 96.4 हो गया। पूर्णतः संरक्षित जमाराशियों और अंशतः संरक्षित जमाराशियों का कुल निर्धारणीय जमाराशियों से प्रतिशत क्रमशः 45.8 और 54.2 है (चार्ट III)।

5. बीमाकृत बैंकों के आकार के अनुसार, उनके आँकड़ों का अधिक व्योरेवार विश्लेषण परिशिष्ट I में दिया गया है। उससे पता चलेगा कि बीमाकृत सीमा के अंतर्गत पूर्णतः संरक्षित खातों और जमाराशियों का अनुपात बड़े आकारवाले बैंकों की अपेक्षा छोटे आकारवाले बैंकों में अधिक है। 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक निर्धारणीय जमाराशियोंवाले बैंकों में पूर्णतः संरक्षित खातों का खातों की कुल संख्या से प्रतिशत 96 और 97.1 के बीच रहा जबकि 1 करोड़ रुपये या उससे कम जमाराशियोंवाले बैंकों में यह प्रतिशत 99.0 था। बीमाकृत जमाराशियों को कुल निर्धारणीय जमाराशियों के प्रतिशत के रूप में दर्शाये जाने पर बीमा-संरक्षण 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक निर्धारणीय जमाराशियोंवाले बैंकों के मामले में 49.0 प्रतिशत और 65.2 प्रतिशत के बीच रहा, जबकि 1 करोड़ रुपये या उससे कम जमाराशियोंवाले बैंकों के मामले में यह इससे बहुत अधिक अर्थात् 77.5 प्रतिशत था।

6. रिज़र्व बैंक कुछ समय से बैंक-प्रणाली को और अधिक व्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से छोटे बैंकों के पुनर्निर्माण और समामेलन को प्रोत्साहन देने की नीति का पालन कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप देश में वारिणज्य बैंकों की संख्या में धीरे-धीरे कमी हुई है। मुख्यतः इस पुनर्निर्माण और समामेलन के परिणामस्वरूप बीमाकृत बैंकों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी हुई है। निगम की स्थापना के समय बीमाकृत बैंकों की संख्या 287 थी। बीमाकृत बैंकों की संख्या 1970 के अंत तक यह संख्या घटकर 83 रह गई है। (परिशिष्ट II में दी गई सूची देखिए)।

7. निम्नलिखित सारणी में बीमाकृत बैंकों की संख्या में वर्षानुवर्ष हुई कमी दर्शायी गई है।

वर्ष	वर्ष के आरंभ में रजिस्ट्रीकृत बैंकों की संख्या	कितने बैंकों की रजिस्ट्री रद्द की गई			वर्ष के अंत में रजिस्ट्रीकृत बैंकों की संख्या
		कुल जोड़	जिन मामलों में निगम पर दायित्व		
			आया है	नहीं आया है	
1	2	3	4	5	6
1962	287	11	2	9	276
1963	276	26	1	25	250
1964	250	94	6	88	157@
1965	157	48	—	48	109
1966	109	10	2	8	100@
1967	100	9	—	9	91
1968	91	3	—	3	88
1969	88	3	2	1	85
1970	85	2	1	1	83
		206	14	192	

@ इसमें इस वर्ष कार्य शुरू करनेवाला एक बैंक शामिल है।

रजिस्ट्री रह किये जाने के समय सभी 206 बैंकों की कुल निर्धारणीय जमाराशियाँ 80.26 करोड़ रुपये थीं जिनमें से उन 14 बैंकों की जमाराशियाँ 29.96 करोड़ रुपये थीं जिनके मामले में निगम पर दायित्व आया है। इन 14 बैंकों के मामले में निगम के दायित्व का अंश 1.13 करोड़ रुपये था।

8. जिस जमा बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1968, को राष्ट्रपति ने 27 दिसंबर 1968 को अपनी स्वीकृति दे दी थी, उसके उपबंधों को फिलहाल लागू नहीं किया गया क्योंकि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अभी ऐसे आवश्यक विधान बनाये जाने हैं जिनसे संबंधित राज्यों के सहकारी बैंक जमा बीमा योजना के योग्य हो सकें। महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश के राज्यों और गोवा, दमन तथा दीव के संघशासित क्षेत्रों ने इस बीच रिजर्व बैंक द्वारा सुझाई गयी रूपरेखा के आधार पर अपने सहकारी समितियाँ अधिनियमों में संशोधन कर लिये हैं और भारत सरकार ने इन राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में जमा बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1968 के उपबंधों को पहली जुलाई 1971 से लागू करते हुए आवश्यक अधिसूचना जारी कर दी है। देश के 1318 सहकारी बैंकों में से 382 इन राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों में हैं। रिजर्व बैंक इस संबंध में शेष राज्यों के साथ भी सक्रिय रूप से लिखा पढ़ी कर रहा है ताकि जमा बीमा निगम अपनी योजना का लाभ जितनी जल्दी व्यवहार्य हो उतनी जल्दी बैंकों की काफी बड़ी संख्या को पहुंचा सके।

लेखे

9. 31 दिसंबर 1970 को कारोबार बन्द होने के समय तक का निगम का तुलनपत्र और आय-व्यय लेखा तथा उनके साथ उनके बारे में लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट संलग्न हैं।

10. 1970 के दौरान निर्धारणीय जमाराशियों में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप इस वर्ष बीमा-किस्तों से प्राप्त आय 1969 के 230.73 लाख रुपयों की तुलना में अधिक अर्थात् 266.70 लाख रुपये हुई है। निवेशों से प्राप्त आय भी पिछले वर्ष के 71.75 लाख रुपयों की तुलना में इस वर्ष 84.80 लाख रुपये हुई है। निगम द्वारा अदा किये गये दावों से होनेवाली प्रत्याशित बीमा हानियों और निवेशों के मूल्य ह्रास के लिए व्यवस्था करने के बाद 316.80 लाख रुपयों की शुद्ध राशि जमा बीमा निधि को अंतरित कर दी गई जिससे वह 1969 के अन्त के 1,414.47 लाख रुपयों से बढ़कर 1970 के अंत में 1,731.27 लाख रुपये हो गई है। यह निधि बीमा-किस्तों से प्राप्त 1,484.33 लाख रुपयों तथा निवेशों से प्राप्त 302.14 लाख रुपयों से मिलकर बनी है और इसमें से निवेशों के मूल्य ह्रास और बीमा हानियों की व्यवस्था के लिए 55.20 लाख रुपयों की राशि घटा दी गई है (देखिये चार्ट IV)। निम्नलिखित सारणी में 1962 से लेकर जमा बीमा निधि की राशि और कुल निर्धारणीय जमाराशियों तथा बीमाकृत जमाराशियों से उनके अनुपात दर्शाये गए हैं :—

निम्नलिखित वर्षों के अंत में	निधि की राशि (लाख रुपयों में)	निर्धारणीय जमाराशियों से निधि का प्रतिशत	बीमाकृत जमाराशियों से निधि का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1962	92.84	0.05	0.20
1963	202.70	0.10	0.40
1964	320.67	0.13	0.56
1965	466.63	0.17	0.68
1966	648.29	0.20	0.79
1967	859.37	0.24	0.91
1968	1,113.49	0.28	0.55
1969	1,414.47	0.30	0.60
1970	1,731.27	0.32	0.51

11. वर्ष के अधिकांश भाग के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार भावों में स्थिरता बनी रही परंतु वर्ष की अन्तिम तिमाही में इनमें थोड़ीसी मंदी आयी। 5½% 1999 तथा 4½% 1971 ऋणों के अनुकूल बाजार भावों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया कि इन ऋणों की प्रतिभूतियों को बेचकर उनकी विक्री से प्राप्त राशि का पुन-जमा बीमा निधि निवेश इतनी ही ब्याज दर के 5½% 2000 तथा 4½% 1986 जैसे ऋणों की लम्बी पुगाई अवधिवाली प्रतिभूतियों में कर दिया जाए। इस अदला-बदली के लेनदेन के परिणामस्वरूप निगम अपनी सामान्य अथवा चालू आय में किसी प्रकार की कमी किये बिना 3.58 लाख रुपयों का वास्तविक लाभ प्राप्त कर सका। 31 दिसम्बर 1970 को जमा बीमा निधि से किये गये निवेशों का बाजार मूल्य, 1,687.87 लाख रुपये, उनके लागत मूल्य, 1,695.58 लाख रुपये, से 7.71 लाख रुपये कम था (देखिये परिशिष्ट III में दिया गया व्योरा)। चूंकि निधि में से किये गये निवेशों के मूल्य में होनेवाले ह्रास के लिए की गयी 5.50 लाख रुपयों की वर्तमान व्यवस्था मूल्यह्रास के लिए पर्याप्त नहीं थी अतः निवेशों से प्राप्त आय में से 1970 के दौरान 2.50 लाख रुपयों की और राशि की व्यवस्था की गयी है ताकि कुल व्यवस्था मिलकर 8.00 लाख रुपये हो जाए।


12. इस वर्ष के दौरान, निम्नलिखित दो बीमाकृत बैंकों की रजिस्ट्री, उनके नाम के सामने उल्लिखित कारणों से रद्द कर दी गयी।
चुकाये गये दावे

बीमाकृत बैंक का नाम	रजिस्ट्री रद्द किये जाने के कारण	रजिस्ट्री रद्द किये जाने की तारीख	रजिस्ट्री रद्द किये जाने की तारीख को निर्धारणीय जमाराशियाँ (लाख रुपयों में)	हस्तान्तरी बैंक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. नेशनल बैंक ऑफ़ लाहौर लि., दिल्ली।	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 के अंतर्गत समामेलन	23-2-1970	883.03	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया
2. पंजाब और कश्मीर बैंक लि., दिल्ली	देयताओं तथा सम-मूल्य की आस्तियों का अंतरण	28-2-1970	14.17	न्यू बैंक ऑफ़ इंडिया लि.

निगम को इन दोनों बैंकों में से केवल नेशनल बैंक ऑफ़ लाहौर लि. के मामले में ही बीमाकृत जमाराशियों की अदायगी के दायित्व को निभाना पड़ा। निगम को 9.69 लाख रुपयों तक की राशि के दावों की अदायगी अथवा उनकी अदायगी के लिए व्यवस्था करनी पड़ी। यह राशि बीमाकृत राशि तथा हस्तान्तरी बैंक द्वारा अपने अधिकार में ली गयी और आसानी से उगाही जा सकनेवाली आस्तियों में से की गयी 97% की आरंभिक जमा के बीच का अंतर है किंतु स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने निगम, रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया और केन्द्रीय सरकार के साथ विचार-विमर्श करके नेशनल बैंक ऑफ़ लाहौर लि. के जमाकर्ताओं को इस आधार पर पूरी अदायगी कर दी थी कि निगम, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया को उस राशि की प्रतिपूर्ति कर देगा जो संबंधित योजना के अधीन आसानी से उगाही जा सकनेवाली आस्तियों में से देय वकाये की 97% की दर पर की गयी आनुपातिक अदायगी और 5,000 रुपयों सहित इस राशि तक की वास्तविक बीमाकृत जमाराशियों के बीच का अंतर होगी। पिछली


चार्ट I

बीमाकृत खातों की संख्या
(अन्तिम शुक्रवार को)
(लाखों में)




चार्ट II

बीमाकृत जमाराशियों की रकम
(अन्तिम शुक्रवार को)
(करोड़ रुपये)




बीमे की परिचयापति

वाणिज्य बैंकों में बीमाकृत खातों की कुल संख्या
(सितंबर 1970)



2,40,39,881 लेखे


वाणिज्य बैंकों में निर्धारणीय जमाराशियों की कुल रकम
(सितंबर 1970)



5457,19.23 लाख रुपये

जमा बीमा निधि में वृद्धि

(लाख रुपयों में)



रिपोर्ट में यह कहा गया था कि जमा बीमा निगम अधिनियम की धारा 18(1) के अधीन स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा बैंक ऑफ़ विहार लि. के जमाकर्ताओं की जो सूची निगम को प्रस्तुत की गयी, वर्ष 1969 के अंत में उसकी जाँच की जा रही थी। बीमा-कृत जमा राशियों की अदायगी के संदर्भ में निगम के दायित्व की राशि 46.40 लाख रुपये होती है और निगम ने इस राशि की विधिवत् अदायगी कर दी है अथवा उसके लिए व्यवस्था कर दी है।

बैंक ऑफ़ विहार लि. और नेशनल बैंक ऑफ़ लाहौर लि. के संदर्भ में चुकाये गये दावों के फलस्वरूप निगम द्वारा अपनी स्थापना से लेकर अब तक अदा किये गये अथवा व्यवस्था किये गये दावों की कुल राशि 57.03 लाख रुपयों से बढ़कर 113.12 लाख रुपये हो गयी।

13. इस वर्ष के दौरान निगम द्वारा चुकाये अथवा व्यवस्था किये गये दावों की प्रतिपूर्ति के लिए उसे हस्तान्तरी बैंकों से 1.82 लाख रुपयों की राशि प्राप्त हुई जिस से इस प्रकार प्राप्त प्रतिपूर्तियों की राशि बढ़कर 37.54 लाख रुपये हो गयी। 14 बैंकों के मामले में चुकाये गये अथवा व्यवस्था किये गये दावों की वर्ष 1970 के समाप्त होने के समय तक की स्थिति परिशिष्ट IV में दर्शायी गयी है। उससे पता लगता है कि निगम द्वारा चुकाये अथवा व्यवस्था किये गये दावों के संदर्भ में वसूल की जानेवाली वास्तविक राशि 75.58 लाख रुपये थी।

14. बैंकों द्वारा वसूली खातों में रखी गयी आस्तियों को ध्यान में रखकर इस वर्ष के अंत में प्रत्येक बैंक के लिए चुकाये अथवा व्यवस्था किये गये बकाया दावों की प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त होने की संभावनाओं की समीक्षा की गयी और निधि के आय-व्यय लेखों से अंतरण करके इसके लिए 15 लाख रुपयों की वर्तमान व्यवस्था को बढ़ाकर 47.20 लाख रुपये कर दिया गया।

सामान्य निधि

15. वर्ष 1970 में सामान्य निधि की आय 5.43 लाख रुपये थी, जबकि निगम के स्थापना तथा अन्य खर्च 3.36 लाख रुपये थे; इस प्रकार इस वर्ष 2.07 लाख रुपयों का अधिशेष रहा जिसे सामान्य रक्षित निधि में अंतरित कर दिया गया। निगम के स्थापना तथा अन्य खर्च, जो पूर्णतया सामान्य निधि से पूरे किये जाते हैं, 1969 के 3.13 लाख रुपयों से बढ़कर 1970 में 3.36 लाख रुपये हो गये अर्थात् उनमें 0.23 लाख रुपयों की वृद्धि हुई जो मुख्यतया सभी वर्गों के कर्मचारियों को अदा किये गये वेतन, भत्तों आदि के अधिक खर्च के कारण हुई है।

16. इस वर्ष के दौरान सामान्य निधि की 3% 1970-75 ऋण की 0.75 लाख रुपये के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों की पुगाई अवधि पूरी हो गयी तथा उनसे प्राप्त विक्री-आगम का 5½% 2000 ऋण में पुनर्निवेश कर दिया गया। इसके फलस्वरूप 0.09 लाख रुपयों का शुद्ध लाभ हुआ। इस वर्ष के अंत में सामान्य निधि के निवेशों की सामान्य निधि राशि लागत मूल्य के अनुसार 117.21 लाख रुपये थी। इन निवेशों का जो मूल्य ह्रास, 1969 के अंत में 0.30 लाख रुपये था, वह इस वर्ष बढ़कर 0.74 लाख रुपये हो गया (देखिये परिशिष्ट III)। चूंकि निवेशों के मूल्य ह्रास के लिए निधि में की गयी 6.10 लाख रुपयों की वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त से अधिक समझी गई थी, उससे से 3.00 लाख रुपयों की राशि सामान्य रक्षित निधि में अंतरित कर दी गयी और इस प्रकार निवेश के रक्षित लेख में 3.10 लाख रुपयों की राशि बकाया रह गयी।

17. पिछली रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत सरकार ने अपेक्षाकृत उपेक्षित क्षेत्रों को ऋण देने में ऋणदाता बैंकों द्वारा उठाये जानेवाले ऋण-जोखिमों से रक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक बीमा योजना तैयार करने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया था जिसने यह सिफारिश की है कि ऋण बीमा योजना की कार्यान्विति का कार्य जमा बीमा निगम को सौंप दिया जाए। बाद में यह निश्चय किया गया कि इस योजना का प्रबन्ध एक अलग संयुक्त-पंजी कंपनी द्वारा किया जाए। अतः भारतीय ऋण गारंटी निगम लि. की रजिस्ट्री 14 जनवरी 1971 को हो गयी है; जिसका पंजीकृत कार्यालय बम्बई में है और जिसकी प्राधिकृत पूंजी 10 करोड़ रुपये है।

18. रिज़र्व बैंक ने श्री आर. के. शोषाद्रि को, जो 2 अगस्त 1966 से निगम के कार्यकारी निदेशक थे, जमा बीमा निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(ख) के अंतर्गत 7 मई 1970 से श्री वी. एन. आडारकर के स्थान पर निगम का निदेशक मनोनीत किया है। वे निदेशक के रूप में 18 दिसंबर 1970 तक कार्य करते रहे और जब निदेशक बोर्ड तथा श्री एस. एस. शिरालकर ने उक्त तारीख को उप-गवर्नर पद का कार्यभार संभाला तब उन्हें श्री शोषाद्रि के कार्यकारिणी समिति स्थान पर निदेशक के रूप में मनोनीत कर दिया गया।

अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन श्री पी. के. घोष का निगम के निदेशक के रूप में कार्यकाल 31 दिसंबर 1970 को समाप्त हो गया। उनके स्थान पर अभी तक किसी निदेशक की नियुक्ति नहीं की गयी है।

19. इस वर्ष के दौरान निदेशक बोर्ड और कार्यकारिणी समिति प्रत्येक की चार चार बैठकें हुई हैं।
20. रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से निदेशक बोर्ड ने वर्ष 1970 के लिए मेसर्स के. एस. अय्यर एण्ड कंपनी को निगम का लेखा-परीक्षक नियुक्त किया है।
21. निगम को कार्यालय-स्थान और अन्य आनुषंगिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के साथ की गयी प्रशासकीय व्यवस्थाएँ इस वर्ष भी जारी रहीं।

बम्बई,

तारीख 22 मार्च 1971.

निगम की ओर से

एस. जगन्नाथन

अध्यक्ष

परिशिष्ट I

बीमे के अंतर्गत आनेवाली जमाराशियों का बैंकों के आकार के अनुसार विश्लेषण
(1961 के दिसंबर तथा 1962 से 1970 तक प्रत्येक वर्ष के सितंबर के अंतिम शुक्रवार को) (लाख रुपयों में)

बैंकों की संख्या	पूरी तरह संरक्षित खातों की संख्या (अर्थात् वे खाते जिनकी वकाया राशि 1967 तक 1,500 रु. से, 31-3-1971 तक 5,000 रु. से और उसके बाद 10,000 रु. से अधिक न थी)	खातों की कुल संख्या	(3) से (2) का प्रतिशत	बीमाकृत जमाराशियाँ (अर्थात् सभी खातों में 1967 तक 1,500 रु. तक, 31-3-1970 तक 5,000 रु. तक और उसके बाद 10,000 रु. तक की राशियाँ)	बीमा-किस्त के लिए निर्धारणीय कुल जमाराशियाँ	(6) से (5) का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
बैंक जिनकी जमाराशियाँ :						
(i) 100 करोड़ रुपयों से अधिक हैं						
1961 ..	5	19,07,565	73.1	17244.19	86024.65	20.4
1962 ..	5	20,56,863	71.9	19855.88	96614.94	20.5
1963 ..	5	23,03,769	72.0	22279.55	108010.07	20.6
1964 ..	6	30,74,624	72.7	29088.07	138462.50	21.0
1965 ..	7	39,65,311	72.4	37999.30	166473.38	22.8
1966 ..	8	50,96,334	72.2	49678.17	207848.96	23.9
1967 ..	9	66,42,248	73.5	61039.83	243480.54	25.1
1968 ..	11	1,00,17,283	89.5	145059.51	293553.75	49.4
1969 ..	13	1,34,26,587	89.9	183358.19	361872.86	50.7
1970*	13	1,69,51,714	96.0	262032.12	425597.36	61.6
(ii) 50 करोड़ रुपयों से अधिक परंतु 100 करोड़ रुपयों तक हैं						
1961 ..	5	7,70,242	75.8	6197.07	31166.68	19.8
1962 ..	5	8,25,565	75.3	6813.43	33754.29	20.2
1963 ..	4	9,09,942	75.0	7614.56	31888.94	23.9
1964 ..	5	13,85,569	77.8	10333.84	38319.58	27.0
1965 ..	6	21,19,236	80.6	13441.78	43504.23	30.9
1966 ..	8	27,12,915	81.1	16821.24	56402.65	29.8
1967 ..	7	24,04,677	80.5	15648.78	51198.50	30.6
1968 ..	5	26,15,724	94.7	21731.23	37076.06	58.6
1969 ..	6	20,21,341	93.3	20226.22	39500.58	51.2
1970 ..	9	31,89,431	97.1	39048.51	59899.14	65.2
(iii) 25 करोड़ रुपयों से अधिक परंतु 50 करोड़ रुपयों तक हैं						
1961 ..	5	6,71,802	80.8	4305.59	15026.17	28.7
1962 ..	5	7,54,562	79.6	5068.76	17148.89	29.5
1963 ..	6	13,05,115	82.3	7635.97	27658.34	27.6
1964 ..	8	14,06,449	83.4	7775.89	31144.64	25.0
1965 ..	9	12,98,142	80.4	8512.36	33181.42	25.7
1966 ..	8	10,76,654	79.8	6953.68	28241.16	24.6
1967 ..	10	12,87,232	79.2	8549.17	36531.65	23.4
1968 ..	10	14,50,790	91.4	16830.64	38908.14	43.3
1969 ..	7	11,14,532	91.7	13083.03	29089.03	45.0
1970 ..	5	7,05,057	96.6	10190.55	20793.21	49.0

	1	2	3	4	5	6	7
(iv) 10 करोड़ रुपयों से अधिक परंतु 25 करोड़ रुपयों तक हैं							
1961 .. 11	9,51,626	11,30,263	84.2	4952.99	17871.79	27.7	
1962 .. 11	10,26,510	12,33,390	83.2	5828.39	21796.82	26.7	
1963 .. 12	9,89,313	12,25,841	80.7	6286.75	24696.62	25.5	
1964 .. 9	6,85,824	8,46,847	81.0	4156.66	17710.56	23.5	
1965 .. 7	3,81,855	4,90,263	77.9	2719.16	12343.60	22.0	
1966 .. 6	3,23,116	4,10,032	78.8	2188.51	10178.57	21.5	
1967 .. 8	5,66,097	6,94,121	81.6	3395.39	10513.08	32.3	
1968 .. 10	7,74,261	8,31,448	93.1	8067.82	13730.52	58.8	
1969 .. 13	10,67,445	11,44,792	93.2	10929.91	19644.14	55.6	
1970* .. 13	12,58,336	12,87,543	97.7	14443.97	21823.63	66.2	
(v) 1 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 10 करोड़ रुपयों तक हैं							
1961 .. 45	8,80,365	10,55,542	83.4	4775.77	15521.78	30.8	
1962 .. 44	9,45,560	11,40,084	82.9	5410.09	16298.88	33.1	
1963 .. 42	8,07,526	9,72,810	83.0	4616.52	15063.93	30.6	
1964 .. 38	8,22,542	9,99,196	82.3	4830.59	15234.29	31.7	
1965 .. 45	10,04,606	12,13,486	82.8	5747.14	17408.50	33.0	
1966 .. 45	10,73,854	13,06,528	82.2	6342.99	19887.97	31.9	
1967 .. 40	9,05,355	11,06,705	81.8	5361.91	17871.08	30.0	
1968 .. 39	10,48,011	11,19,936	93.6	10285.43	17488.71	58.8	
1969 .. 35	9,29,054	9,95,473	93.3	9466.18	16428.58	57.6	
1970 .. 34	10,24,910	10,47,620	97.8	11690.13	17318.48	67.5	
(vi) 1 करोड़ रुपये या उससे कम हैं							
1961 .. 214	3,60,052	4,18,117	86.1	1756.20	3763.70	46.7	
1962 .. 203	3,68,360	4,24,862	86.7	1823.61	3913.47	46.5	
1963 .. 191	3,36,401	3,88,630	86.6	1582.94	3360.00	47.1	
1964 .. 138	2,51,218	2,94,166	85.4	1251.60	2857.08	43.8	
1965 .. 43	1,28,655	1,51,076	85.2	642.37	1483.31	43.3	
1966 .. 28	81,280	97,106	83.7	444.72	1071.98	41.5	
1967 .. 19	60,923	71,581	85.1	296.02	754.62	39.2	
1968 .. 13	46,204	47,849	96.6	304.03	430.51	70.6	
1969 .. 12	50,092	51,886	96.5	341.53	473.11	72.2	
1970* .. 9	35,748	36,101	99.0	222.83	287.41	77.5	
जोड़							
1961 .. 285	55,41,652	70,58,448	78.5	39231.81	169374.77	23.1	
1962 .. 273	59,77,420	77,03,548	77.6	44800.16	189527.29	23.6	
1963 .. 260	66,52,066	85,86,932	77.5	50016.29	210677.90	23.7	
1964 .. 204	76,26,226	98,37,176	77.5	57436.65	243728.65	23.6	
1965 .. 117	88,97,805	1,15,75,916	76.9	69062.11	274394.44	25.2	
1966 .. 103	1,03,64,153	1,35,63,618	76.4	82429.31	323631.29	25.5	
1967 .. 93	1,18,66,532	1,55,25,841	76.4	94291.10	360349.47	26.2	
1968 .. 88	1,59,52,273	1,75,47,550	90.9	202278.66	401187.69	50.4	
1969 .. 86	1,86,09,051	2,05,01,104	90.8	237405.06	467008.30	50.8	
1970* .. 83	2,31,65,196	2,40,39,881	96.4	337628.11	545719.23	61.9	

* अनन्तिम आंकड़े ।

परिशिष्ट II

31 दिसंबर 1970 को रजिस्ट्रीकृत बीमाकृत बैंकों की सूची

- * 1. इलाहाबाद बैंक, कलकत्ता
2. अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कार्पोरेशन, बम्बई
3. आंध्र बैंक लिमिटेड, मछलीपट्टनम
4. बैंक ऑफ अमेरिका नेशनल ट्रस्ट एण्ड सेविंग्स एसोसिएशन, बंबई
- * 5. बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा
6. बैंक ऑफ कोचीन लि., एर्णाकुलम
- * 7. बैंक ऑफ इंडिया, बंबई
8. बैंक ऑफ कराड़ लि., कराड़
9. बैंक ऑफ मदुरा लि., मदुरै
- * 10. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पूना
11. बैंक ऑफ राजस्थान लि., जयपुर
12. बैंक ऑफ टोकियो लि., कलकत्ता
13. बैंके नेशनले डि पेरिस, बंबई
14. बरेली कार्पोरेशन (बैंक) लि., बरेली
15. वारी दोआब बैंक लि., होशियारपुर
16. बेलगाँव बैंक लि., बेलगाँव
17. बनारस स्टेट बैंक लि., वाराणसी
18. ब्रिटिश बैंक ऑफ दी मिडल ईस्ट, बंबई
- * 19. केनरा बैंक, मंगलूर
20. केनरा बैंकिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, उडिपी
21. कैथॉलिक सीरियन बैंक लि., त्रिचूर
- * 22. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बंबई
23. चार्टर्ड बैंक, कलकत्ता
- * 24. देना बैंक, बंबई
25. धनलक्ष्मी बैंक लि., त्रिचूर
26. ईस्टर्न बैंक लि., कलकत्ता
27. फेडरल बैंक लि., अलवाई
28. फ्रस्ट नेशनल सिटी बैंक, बंबई
29. गरोश बैंक ऑफ कुंदवाड लि., कुंदवाड
30. गोहाटी बैंक लि., गोहाटी
31. जनरल बैंक ऑफ दी नीदरलैण्ड्स, कलकत्ता
32. हिन्दुस्तान कर्माशियल बैंक लि., कानपुर
33. हिन्दुस्तान मर्केंटाइल बैंक लि., कलकत्ता
34. हाँगकाँग एण्ड शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन, कलकत्ता
- * 35. इंडियन बैंक, मद्रास
- * 36. इंडियन ओवरसीज बैंक, मद्रास
37. जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि., श्रीनगर
38. झरिया इंडस्ट्रियल बैंक प्राइवेट लि., झरिया
39. कर्नाटक बैंक लि., मंगलूर
40. करूर वैश्य बैंक लि., करूर
41. काशी नाथ सेठ बैंक प्राइवेट लि., शाहजहाँपुर
42. कृष्णराम बलदेव बैंक लि., ग्वालियर
43. कुंभकोराम सिटी यूनिथन बैंक लि., कुंभकोराम
44. लक्ष्मी कर्माशियल बैंक लि., नई दिल्ली
45. लक्ष्मी विलास बैंक लि., करूर
46. लॉर्ड कृष्ण बैंक लि., कंगनूर
47. मर्केंटाइल बैंक लि., बंबई

48. मिरज स्टेट बैंक लि., मिरज
49. मिल्सुई बैंक लि., बंबई
50. नैनीताल बैंक लि., नैनीताल
51. नारंग बैंक ऑफ़ इंडिया लि., नई दिल्ली
52. नेशनल एण्ड ग्रिडलेज बैंक लि., कलकत्ता
53. नेडुनगाडी बैंक लि., कोळिकोड
54. न्यू बैंक ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली
55. ऑरिएण्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स लि., दिल्ली
56. परूर सेंट्रल बैंक लि., उत्तर परूर
57. पंजाब को-ऑपरेटिव बैंक लि., जालंधर शहर
- * 58. पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली
59. पंजाब एण्ड सिंध बैंक लि., नई दिल्ली
60. रत्नाकर बैंक लि., कोल्हापुर
61. साहूकारा बैंक लि., लुधियाना
62. सांगली बैंक लि., सांगली
63. साउथ इंडिया बैंक लि., तिरुनेलवेली
64. साउथ इंडियन बैंक लि., त्रिचूर
65. स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर, जयपुर शहर
66. स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद, हैदराबाद
67. स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, बंबई
68. स्टेट बैंक ऑफ़ इंदौर, इंदौर
69. स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर, बंगलूर
70. स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला, पटियाला
71. स्टेट बैंक ऑफ़ सीराष्ट्र, भावनगर
72. स्टेट बैंक ऑफ़ चावणकोर, त्रिवेन्द्रम
- * 73. सिडीकेट बैंक, मरिणपाल
74. तमिलनाड मकॅन्टाइल बैंक लि., तुतीकोरिन
75. तंजाऊर पर्मनेंट बैंक लि., तंजाऊर
76. ट्रेडर्स बैंक लि., नई दिल्ली
- * 77. यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, बंबई
- * 78. युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया, कलकत्ता
- * 79. युनाइटेड कमर्शियल बैंक, कलकत्ता
80. युनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि., कलकत्ता
81. युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि., सतारा शहर
82. विजय बैंक लि., मंगलूर
83. वैश्य बैंक लि., बंगलूर

* ये तदनुरूपी नये बैंक हैं ।

परिशिष्ट III

केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में 31 दिसंबर 1970 तक किये गये निवेशों का ब्योरा

विवरण	अंकित मूल्य रु. (1)	वही-मूल्य रु. (2)	बाजार दर रु. % (2)	बाजार मूल्य रु. (4)
जमा बीमा निधि :				
4½% 1986 ..	2,68,96,900.00	2,65,60,688.75	95.15	2,55,92,400.35
5% 1982 ..	1,30,55,000.00	1,31,58,440.00	102.25	1,33,48,737.50
5½% 1990 ..	1,70,000.00	1,70,510.00	103.50	1,75,950.00
5½% 2000 ..	11,86,09,700.00	11,86,69,004.85	100.05	11,86,69,004.85
5½% 2000 (पुनर्निगमन)	1,09,95,000.00	1,09,98,862.50	100.05	1,10,00,497.50
	<u>16,97,26,600.00</u>	<u>16,95,57,506.10</u>		<u>16,87,86,590.20</u>
घटाइये : मूल्य ह्रास के लिए व्यवस्था		8,00,000.00		
		<u>16,87,57,506.10</u>		
सामान्य निधि :				
3¾% 1974 ..	25,00,000.00	24,88,750.00	98.45	24,61,250.00
4 % 1972 ..	1,05,000.00	1,02,962.50	100.00	1,05,000.00
4 % 1981 ..	25,00,000.00	24,62,500.00	94.95	23,73,750.00
4¼% 1972 ..	1,00,000.00	1,00,000.00	100.50	1,00,500.00
4¼% 1973 ..	30,000.00	30,000.00	100.30	30,090.00
4½% 1971 ..	10,75,000.00	10,69,625.00	100.50	10,80,375.00
4½% 1985 ..	1,00,000.00	1,00,075.00	95.85	95,850.00
4½% 1986 ..	1,00,000.00	1,00,000.00	95.15	95,150.00
4¾% 1972 ..	1,00,000.00	1,00,000.00	101.45	1,01,450.00
4¾% 1989 ..	2,20,000.00	2,19,125.00	97.00	2,13,400.00
5 % 1982 ..	15,00,000.00	15,00,000.00	102.25	15,33,750.00
5½% 1991 ..	1,10,000.00	1,09,012.50	102.40	1,12,640.00
5½% 1999 ..	30,91,400.00	30,99,248.50	100.40	31,03,765.60
5½% 2000 ..	1,10,000.00	1,10,060.00	100.05	1,10,055.00
5½% 2000 (पुनर्निगमन)	1,30,000.00	1,30,017.50	100.05	1,30,065.00
	<u>1,17,71,400.00</u>	<u>1,17,21,376.00</u>		<u>1,16,47,090.60</u>

परिशिष्ट IV

31-12-1970 को भुगतान अथवा व्यवस्था किये गये दावे और प्राप्त प्रतिपूर्तियाँ

(रुपये लाखों में)

वर्ष	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की सूची के अनुसार दावों के पूरे भुगतान के लिए पहले प्रेषण की तारीख	पहले ही भुगतान की गई बीमाकृत जमाराशियाँ	अदावी रहनेवाली ऐसी बीमाकृत जमाराशियाँ जिनके लिए व्यवस्था की गई है।	भुगतान अथवा व्यवस्था की गई कुल बीमाकृत जमाराशियाँ
1	2	3	4	5	6
1962		—	—	—	—
1963	(i) बैंक ऑफ़ चाइना	27-4-1963	6.43	2.82*	9.25
	(ii) यूनियन बैंक लि., मद्रास	13-9-1963	2.52	0.02	2.54
	(iii) बैंक ऑफ़ अलगापुरी लि., अलगापुरी	24-12-1963	0.28	—	0.28
				(43 रु.)	
			9.23	2.84	12.07
1964	(iv) मेट्रोपॉलिटन बैंक लि., कलकत्ता	6-5-1964	8.74	0.06	8.80
	(v) कोचिन नायर बैंक लि., त्रिचूर	3-6-1964	7.04	0.06	7.10
	(vi) लेटिन क्रिश्चियन बैंक लि., एण्णकुलम	19-11-1964	2.08	—	2.08
				(201 रु.)	
	(vii) उन्नाव कमर्शियल बैंक लि., उन्नाव	26-11-1964	1.06	0.02	1.08
	(viii) सदर्न बैंक लि., कलकत्ता	12-12-1964	7.28	0.06	7.34
			26.20	0.20	26.40
1965	(ix) श्री जदेया शंकरलिंग बैंक लि., बीजापुर	1-2-1965	0.12	—	0.12
1966	(x) नेशनल बैंक ऑफ़ पाकिस्तान, कलकत्ता	20-9-1966	0.99	—	0.99
	(xi) हबीब बैंक लि., बंबई	5-10-1966	15.76	1.51*	17.27
			16.75	1.51	18.26
1967	—	—	—	—	—
1968	—	—	—	—	—
1969	(xii) चावला बैंक लि., देहरादून	13-10-1969	0.18	—	0.18
				(2.65 रु.)	
1970	(xiii) बैंक ऑफ़ बिहार लि., पटना	15-5-1970	46.03	0.37*	46.40
	(xiv) नेशनल बैंक ऑफ़ लाहौर लि., दिल्ली	20-7-1970	9.30	0.39	9.69
			55.33	0.76	56.09
		जोड़	107.81	5.31	113.12
		घटाइये: वर्ष के अंत तक प्राप्त हुई प्रतिपूर्तियाँ	33.21	4.33	37.54
			74.60	0.98	75.58

* 2.82 लाख रुपयों, 1.51 लाख रुपयों और 0.37 लाख रुपयों के आँकड़ों में पता लग सकनेवाले जमाकर्ताओं के क्रमशः 0.31 लाख रुपयों, 0.01 लाख रुपयों और 0.01 लाख रुपयों के ऐसे दावे शामिल हैं जिनका संवितरण होना है।

टिप्पणी :—ऊपर दी गयी दावों की रकमें निम्नलिखित मामलों के बाबत समायोजन करके निकाली गयी हैं :—

(i) जिन मामलों में यह मालूम हुआ कि एक ही जमाकर्ता के नाम एक से अधिक और अधिकार में एक से अधिक जमा खाते थे ; (ii) जिन मामलों में एक से अधिक जमाखाते एक ही जमाकर्ता के नाम एक से अधिक और अधिकार में मान लिए गये थे परंतु बाद में पता चला कि वे एक ही जमाकर्ता के कब्जे में नहीं थे ; (iii) कुछ जमाखातों की बकाया राशियों का पुनर्निर्माण और (iv) कुछ ऐसे जमाकर्ताओं के मामलों में किये गये भुगतान जिनका मूलतः पता नहीं लग सका परंतु जिन्होंने बाद में अपने दावे पेश किये हैं।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने जमा बीमा निगम के 31 दिसंबर 1970 तक के संलग्न तुलनपत्र की लेखा परीक्षा कर ली है। इसमें उक्त तारीख को क्रमशः जमा बीमा निधि तथा सामान्य निधि की स्थिति दिखाई गई हैं। हमने उक्त तुलनपत्र के साथ लगे, उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए उक्त दोनों निधियों की आय और उनके व्यय को दर्शानेवाले आय-व्यय लेखे की भी लेखा परीक्षा कर ली है। हम उक्त तुलनपत्र तथा लेखे के बारे में नीचे लिखे अनुसार अपनी रिपोर्ट देते हैं :—

- (1) हमने लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक सारी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं और वे सन्तोषजनक हैं।
- (2) हमारी राय में और जहाँ तक हमारी जानकारी है और जो स्पष्टीकरण हमें दिये गये हैं, उनके अनुसार उक्त तुलनपत्र पूर्ण और सही तुलनपत्र है और वह सभी आवश्यक विवरण देते हुए उचित रूप से इस प्रकार तैयार किया गया है कि उससे 31 दिसंबर 1970 को निगम के कारोबार की स्थिति का सही चित्र सामने आ सके और उक्त तुलनपत्र जमा बीमा निगम सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 19 की अपेक्षाओं के अनुसार उचित ढंग से तैयार किया गया है।

के. एस. अय्यर एण्ड कं.

सनदी लेखापाल

बम्बई

23 मार्च 1971

जमा बीमा
(जमा बीमा निगम अधिनियम,
विनियम 18
31 दिसंबर 1970 को कारोबर समाप्त
I—जमा

31 दिसंबर 1969 को		देयताएँ				
रु.	पै.		रु.	पै.	रु.	पै.
11,13,49,413.70		1. निधि :				
		वर्ष के आरंभ में शेष	14,14,47,257.17			
		जोड़िये : वर्ष के दौरान निधि में				
		हुआ शुद्ध उपचय जिसका				
3,00,97,843.47		आय-व्यय लेख से अंतरण	3,16,79,939.76			
		किया गया।				
14,14,47,257.17		वर्ष के अंत में शेष			17,31,27,196.93	
—		2. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिये गये			—	
		अग्रिम (जमा-बीमा निगम अधि-				
		नियम की धारा 26)				
—		3. सामान्य निधि से लिये गये अग्रिम			—	
		(जमा बीमा निगम अधिनियम की				
		धारा 27)				
4,57,297.21		4. अदावी रहनेवाली बीमाकृत जमा-			5,30,534.64	
		राशियाँ (दुतरफा) (अनुबंध II				
		के अनुसार)				
—		5. जिन बैंकों की बीमाकृत बैंकों के			—	
		रूप में रजिस्ट्री रद्द कर दी गयी				
		है उनकी बीमाकृत जमाराशियाँ				
		(दुतरफा)				
1,02,885.54		6. अन्य देयताएँ :—			2,08,376.07	
		बैंकों को वापस की जानेवाली अधिक				
		बीमा किस्त की राशि				
14,20,07,439.92					17,38,66,107.64	

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

बम्बई, 23 मार्च 1971

के. एस. अय्यर एण्ड कं
सनदी लेखापाल

निगम

1961 के अधीन स्थापित)

फार्म 'क'

होने के समय का तुलनपत्र

बीमा निधि

31 दिसंबर 1969 को रु. पै.	आस्तियाँ	रु. पै.	रु. पै.
10,133. 99	1. रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के पास शेष		6,967. 55
13,93,51,816. 82	2. केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (क्रयमूल्य पर मूल्य ह्रास के लिए 8,00,000 रु. की व्यवस्था घटाने के बाद)		16,87,57,506. 10
(13,96,77,600. 00)	(अंकित मूल्य रु. 16,97,26,600. 00)		
(14,05,17,334. 10)	(वाजार मूल्य रु. 16,87,86,590. 20)		
18,26,959. 51	3. निवेशों पर प्रोद्भूत व्याज		20,61,195. 52
21,09,187. 77	4. पहले ही अदा की गई बीमाकृत जमाराशियों के लिए जमाकर्ताओं के प्रत्यासीन दावे	74,60,395. 09	
14,86,608. 00	घटाइये: अनुमानित बीमा हानि के लिए व्यवस्था (अनुबंध I के अनुसार)	46,54,117. 00	
6,22,579. 77			28,06,278. 09
4,57,297. 21	5. (क) अदावी रहनेवाली बीमाकृत जमाराशियों के लिए जमाकर्ताओं के प्रत्यासीन दावे (दुतरफ़ा)		
4,35,072. 09	रु. 5,30,534. 64		
22,225. 12	घटाइये: अद्यतन प्राप्त हुई प्रतिपूर्ति रु. 4,33,052. 94	97,481. 70	
—	(ख) जिन बैंकों की बीमाकृत बैंकों के रूप में रजिस्ट्री रद्द कर दी गयी है उनकी बीमाकृत जमाराशियों के लिए जमाकर्ताओं के प्रत्यासीन दावे	—	
22,225. 12		97,481. 70	
13,392. 00	घटाइये: अनुमानित बीमा हानि के लिए व्यवस्था	65,883. 00	
8,833. 12			31,598. 70
1,77,763. 83	6. अन्य आस्तियाँ बैंकों द्वारा देय बीमा-किस्त की बकाया राशि अधिनियम की धारा 17(2) के अधीन किए गए दावों के लिए अदा की गई रकम जिसका संवितरण नहीं हुआ	1,94,811. 13	
9,352. 88		7,750. 55	
1,87,116. 71			2,02,561. 68
14,20,07,439. 92			17,38,66,107. 64

एम. जे. अम्बानी
मैनेजर

बम्बई, 22 मार्च, 1971

एस. जगन्नाथन

एस. एस. शिरालकर

डी. एम. घोष

व्ही. एच. बोरा

अध्यक्ष

निदेशक

I--31 दिसम्बर 1970 को समाप्त

पिछला वर्ष		व्यय	रु.	पै.	रु.	पै.
रु.	पै.					
बीमा हानियों के बाबत :						
—		(क) वर्ष के दौरान बट्टे डाले गए दावे	—			
15,00,000. 00		(ख) वर्ष के अंत में अनुमानित हानियों के लिए की गई व्यवस्था	47,20,000. 00			
15,00,000. 00			47,20,000. 00			
13,50,000. 00		(ग) घटाइये : वर्ष के आरंभ में अनुमानित हानियों के लिए की गई व्यवस्था	15,00,000. 00		32,20,000. 00	
1,50,000. 00						
—		रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया से लिये गये अग्रिम पर व्याज (जमा बीमा निगम अधिनियम की धारा 26)			—	
—		सामान्य निधि से लिये गये अग्रिम पर व्याज (जमा बीमा निगम अधिनियम की धारा 27)			—	
3,00,97,843. 47		निधि को अंतरित वास्तविक उपचय			3,16,79,939. 76	
3,02,47,843. 47					3,48,99,939. 76	

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

के. एस. अय्यर एण्ड कं.

सनदी लेखापाल

बंबई, 23 मार्च 1971

निगम

ख)

द्वे वर्ष के लिए आय-व्यय लेखा (जमा बीमा निधि)

पिछला वर्ष रु. पै.	आय	रु. पै.	रु. पै.
2,30,72,864.73	बीमा किस्तों से (व्याज को मिलाकर) निवेशों से प्राप्त आय से		2,66,70,105.89
71,74,978.74	(घटाइये : मूल्य ह्रास के लिए की गई 2,50,000 रुपयों की व्यवस्था)		82,29,833.87
3,02,47,843.47			3,48,99,939.76

एम. जे. अम्बानी
मैनेजर

बंबई, 22 मार्च 1971

एस. जगन्नाथन

एस. एस. शिरालकर

डी. एन. घोष

व्ही. एच. वीरा

अध्यक्ष

निदेशक

जमा बीमा
(जमा बीमा निगम अधिनियम,
विनियम 18
31 दिसंबर 1970 को कारोबार बंद
II—सामान्य

31 दिसंबर 1969 को रु. पै.	देयताएँ	रु. पै.	रु. पै.
1,00,00,000.00	1. पूंजी जमा बीमा निगम अधिनियम की धारा 4 के अधीन रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा दी गई		1,00,00,000.00
	2. रक्षित निधियाँ	15,59,833.48	
10,52,593.44	सामान्य रक्षित निधियाँ		
6,10,000.00	निवेश की रक्षित निधियाँ	3,10,000.00	
—	अन्य रक्षित निधियाँ	—	
16,62,593.44			18,69,833.48
	3. वर्तमान देयताएँ और व्यवस्थाएँ		
—	कर्मचारी भविष्य निधि	—	
—	कर्मचारी उपदान निधि	—	
	अन्य देयताएँ :		
35,836.16	बकाया खर्च	70,223.62	
—	विविध लेनदार	381.90	
35,836.16			70,605.52
1,16,98,429.60			1,19,40,439.00

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

के. एस. अय्यर एण्ड कं.
सनदी लेखापाल

बंबई, 23 मार्च 1971

निगम

1961 के अधीन स्थापित)

फ़ॉर्म 'क'

होने के समय का तुलनापत्र

निधि

31 दिसंबर 1969 को रु. पै.	आस्तियाँ	रु. पै.	रु. पै.
	1. नकदी		
92. 20	(i) हाथ में	92. 50	
24,402. 19	(ii) रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के पास	13,688. 34	
24,494. 39			13,780. 84
1,14,71,823. 50	2. केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत मूल्य पर)		1,17,21,376. 00
(1,15,31,400. 00)	(अंकित मूल्य रु. 1,17,71,400. 00)		
(1,14,42,144. 90)	(बाज़ार मूल्य रु. 1,16,47,090. 60)		
1,85,416. 93	3. निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज		1,88,494. 77
—	4. जमा बीमा निधि को दिए गये अग्रिम, यदि कोई हों (जमा बीमा निगम अधिनियम की धारा 27 देखिये)		—
	5. अन्य आस्तियाँ		
10,282. 21	मूल्यह्रास घटाकर फ़र्नीचर, जुड़नार और उपस्कर	10,233. 72	
1,682. 13	स्टेशनरी का स्टॉक	1,999. 38	
208. 00	मूल्यह्रास घटाकर पुस्तकालय की पुस्तकें	211. 32	
3,903. 00	'अपना टेलीफोन लगवाइये' योजना के अधीन दी गई जमाराशि	3,643. 00	
619. 44	पूर्व दत्त खर्चे	699. 97	
16,694. 78			16,787. 39
1,16,98,429. 60			1,19,40,439. 00

एम. जे. अम्बानी

मैनेजर

बंबई, 22 मार्च 1971

एस. जगन्नाथन

एस. एस. शिरालकर

डी. एन घोष

व्ही. एच. वीरा

अध्यक्ष

निदेशक

II—31 दिसंबर 1970 को समाप्त

पिछला वर्ष रु. पै.	व्यय	रु. पै.	
2,35,890.24	वेतन और भत्ते तथा भविष्य निधि में अंशदान	2,57,188.82	
10,625.28	कर्मचारी पेंशन और उपदान निधि में अंशदान	14,137.92	
1,350.00	निदेशकों और समिति के सदस्यों की फ़ीस	1,050.00	
8,124.00	निदेशकों और समिति के सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्ते	8,050.20	
37,933.84	किराया, कर, बीमा, प्रकाश आदि	38,304.71	
1,119.85	स्थापना—यात्रा एवं विराम भत्ते	—	
5,221.48	छपाई और लेखन सामग्री	6,168.48	
2,473.20	डाक, तार और टेलीफोन	2,623.85	
2,500.00	लेखा परीक्षकों की फ़ीस	2,500.00	
252.00	विधि प्रभार	367.00	
5,986.02	विविध खर्च	4,211.10	
1,887.76	मूल्यहास	1,832.82	
2,38,502.89	व्यय की तुलना में आय की वृद्धि का शेष जो नीचे लाया गया	2,07,240.04	
5,51,866.56		5,43,674.94	
2,38,502.89	सामान्य रक्षित निधि को अंतरित	2,07,240.04	
—	अन्य रक्षित निधियों को अंतरित	—	
—	निवेश रक्षित निधि को अंतरित	—	
2,38,502.89		2,07,240.04	

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

के. एस. अय्यर एण्ड कं.

सनदी लेखापाल

बंबई, 23 मार्च 1971

निगम

ख)

हुए वर्ष के लिए आय-व्यय लेखा (सामान्य निधि)

पिछला वर्ष रु. पै.	आय	रु. पै.
5,51,843.22	निवेशों से आय	5,43,652.74
—	जमा बीमा निधि को दिये गए अग्रिम पर व्याज	—
23.34	विविध प्राप्तियाँ	22.20
5,51,866.56		5,43,674.94
2,38,502.89	व्यय की तुलना में आय की वृद्धि का शेष जो नीचे लाया गया	2,07,240.04
2,38,502.89		2,07,240.04

एम. जे. अम्बानी
मैनेजर
बंबई, 22 मार्च 1971

एस. जगन्नाथन
एस. एस. शिरालकर
डी. एन. घोष
व्ही. एच. बोरा

अध्यक्ष
निदेशक

अनुबन्ध I

जमातकर्ताओं के प्रत्यासीन (Subrogated) दावे

	रु.	पै.	रु.	पै.
पिछले वर्ष के अंत तक अदा की गई कुल रकम (पता न लगाए जा सकनेवाले खातों से पता लगाए जा सकनेवाले खातों को अंतरित किए गए 3,891.89 रुपयों को जोड़कर और एक चीनी जमाकर्ता को अदायगी के लिए शत्रु-संपत्ति के परिरक्षक से प्राप्त 1,500/— रु. घटाकर)			52,48,432.	34
घटाइये :				
(i) पिछले वर्ष के अंत तक प्राप्त प्रतिपूर्तियाँ (पता न लगाए जा सकनेवाले खातों से पता लगाए जा सकनेवाले खातों को अंतरित किए गए 2,310.93 रुपयों को जोड़कर)	31,39,073.	61		
(ii) पिछले वर्ष के अंत तक बट्टे खाते डाले गए दावे	कुछ नहीं			
(iii) पिछले वर्ष के अंत तक की अनुमानित हानियों के लिए व्यवस्था	14,86,608.	00		
			46,25,681.	61
अनुमानित हानियों के लिए की गई व्यवस्था को घटाकर वर्ष के आरंभ में अदा की गई वास्तविक रकम			6,22,660.	73
जोड़िये : वर्ष के दौरान अदा की गई बीमाकृत जमा-राशियाँ			55,33,738.	51
			61,56,399.	24
घटाइये :				
(i) वर्ष के दौरान प्राप्त प्रतिपूर्तियाँ	1,82,612.	15		
(ii) वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए दावे	कुछ नहीं			
(iii) वर्ष के दौरान अनुमानित हानियों के लिए की गई व्यवस्था	31,67,509.	00		
			33,50,121.	15
अनुमानित हानियों के लिए की गई व्यवस्था को घटाकर वर्ष के अंत तक अदा की गई वास्तविक रकम			28,06,278.	09

अनुबन्ध II

31 दिसंबर 1970 को अदावी रहनेवाली बीमाकृत जमाराशियाँ

	रु.	पै.
वर्ष के आरंभ में बकाया राशि	4,57,297.	21
जोड़िये :		
(i) वर्ष के दौरान पेश की गई परंतु अदावी रहनेवाली बीमाकृत जमाराशियों की रकम	75,629.	32
(ii) वर्ष के दौरान एक चीनी जमाकर्ता को अदायगी के लिए शत्रु-संपत्ति परिरक्षक द्वारा लौटाई गई जमाराशियाँ जो अदा की जानी है	1,500.	00
	5,34,426.	53
घटाइये : वर्ष के दौरान पेश किए गए और अदा किये गये दावों की रकम	3,891.	89
वर्ष के अंत में अदावी रहनेवाली कुल बीमाकृत जमाराशियाँ	5,30,534.	64

DEPOSIT INSURANCE CORPORATION



ESTABLISHED BY ACT OF PARLIAMENT



Every depositor is guaranteed
repayment of his deposits
upto Rs. 10,000/- in each insured bank

**NINTH
ANNUAL REPORT**

**DIRECTORS' REPORT, BALANCE SHEET AND ACCOUNTS
FOR THE YEAR ENDED 31st DECEMBER 1970**

With the Compliments of

**The Deposit Insurance Corporation
Bombay.**

DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

SHRI S. JAGANNATHAN
Governor, Reserve Bank of India,
Bombay.

DIRECTORS

SHRI S. S. SHIRALKAR
Deputy Governor, Reserve Bank of India,
Bombay.

SHRI D. N. GHOSH
Director, Department of Banking,
Ministry of Finance,
Government of India.

SHRI V. H. VORA

MANAGER

SHRI M. J. AMBANI

BANKERS

Reserve Bank of India

AUDITORS

Messrs. K. S. Aiyar & Co.,
Chartered Accountants,
49, Apollo Street,
Bombay-1.

REGISTERED OFFICE

Vidyut Bhavan,
Pathakwadi, Opposite G. T. Hospital,
Post Bag No. 2810,
Bombay-2.

LETTER OF TRANSMITTAL

DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

Vidyut Bhavan,
Pathakwadi, Opposite G. T. Hospital,
Post Bag No. 2810,
BOMBAY-2.

496/DIC. 50B-71.

31st March, 1971

Chaitra 10, 1893 (Saka)

The Secretary,
Reserve Bank of India,
Central Office,
Bombay.

Dear Sir,

Pursuant to the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith the following documents :—

- (1) The Balance Sheet and Accounts of the Corporation for the year ended 31st December 1970 together with the Auditors' Report ;

and

- (2) The Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year 1970.

Yours faithfully,

M. J. AMBANI

Manager

**REPORT ON THE WORKING OF THE DEPOSIT INSURANCE CORPORATION FOR THE
YEAR ENDED THE 31ST DECEMBER 1970**

General

In terms of section 32(1) of the Deposit Insurance Corporation Act, 1961 the Board of Directors hereby presents the Ninth Annual Report on the working of the Corporation for the year ended the 31st December 1970.

2. The limit of insurance cover in respect of all the unpaid balances due to a depositor held in an insured bank in the same capacity and in the same right, which was raised from Rs. 1,500 to Rs. 5,000 with effect from 1st January 1968, was enhanced to Rs. 10,000 with effect from 1st April 1970. Deposits of foreign Governments, the Central Government, a State Government or a commercial bank and deposits received outside India are not insured by the Corporation and are not also assessable for payment of premium by the insured banks. Deposits of autonomous or statutory bodies, quasi-Government bodies or local authorities, public undertakings and Corporations, etc. are, however, insured and are assessable for payment of premium. The percentage of non-insurable deposits to total deposits of insured banks stood at 4.3 at the end of 1970.

The rate of premium at 5 paise per annum payable by insured banks for every hundred rupees of their assessable deposits, remained unchanged.

3. The following table shows the extent of protection afforded by the Corporation to depositors of insured banks from year to year :

(Amounts in crores of rupees)

As on the last Friday of	No. of fully protected accounts (i.e. those with balances not exceeding Rs. 1,500 till end of 1967, Rs. 5,000 till 31-3-1970 and Rs. 10,000 thereafter)	Total No. of accounts	Percentage of (2) to (3)	Insured deposits (i.e. amounts upto Rs. 1,500 in all accounts till end of 1967, Rs. 5,000 till 31-3-1970 and Rs. 10,000 thereafter)	Total amount of deposits assessable to premium	Percentage of (5) to (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
December, 1961	55,41,625	70,58,448	78.5	392.32	1,693.75	23.1
September, 1962	59,77,420	77,03,548	77.6	448.00	1,895.27	23.6
September, 1963	66,52,066	85,86,932	77.5	500.16	2,106.78	23.7
September, 1964	76,26,226	98,37,176	77.5	574.37	2,437.29	23.6
September, 1965	88,97,805	1,15,75,916	76.9	690.62	2,743.94	25.2
September, 1966	1,03,64,153	1,35,63,618	76.4	824.29	3,236.31	25.5
September, 1967	1,18,66,532	1,55,25,841	76.4	942.91	3,603.49	26.2
September, 1968	1,59,52,273	1,75,47,550	90.9	2,022.79	4,011.88	50.4
September, 1969	1,86,09,051	2,05,01,104	90.8	2,374.05	4,670.08	50.8
September, 1970*	2,31,65,196	2,40,39,881	96.4	3,376.28	5,457.19	61.9

(Charts I & II). * Provisional figures.

4. It will be seen that the total amount of deposits assessable to premium rose progressively during the period 1961-70. The percentage of the insured deposits to total assessable deposits which had increased sharply from 26.2 in 1967 to 50.4 in 1968 due to the increase in the limit of insurance cover from Rs. 1,500 to Rs. 5,000 per depositor with effect from the 1st January 1968, showed a further increase to 50.8 in 1969. In 1970, due to the increase in the limit of insurance cover to Rs. 10,000 from 1st April 1970, the percentage of insured deposits to total assessable deposits rose further to 61.9. The percentage of fully protected deposit accounts to the total number of deposit accounts which had increased from 76.4 in 1967 to 90.9 in 1968, declined slightly to 90.8 in 1969 and increased to 96.4 in 1970 for the reasons stated above. The deposits in fully protected and partially protected accounts form 45.8% and 54.2% respectively of the total assessable deposits (Chart III).

5. A more detailed analysis of figures, according to the size of the insured banks, is furnished in Appendix I. It will be observed therefrom that the proportion of accounts as well as of deposits fully covered by the insured limit tended to be higher in the case of smaller sized banks as compared to those of larger size. The proportion of fully protected accounts to the total number of accounts varied from 96.0 per cent to 97.1 per cent in the case of banks with assessable deposits of Rs. 25 crores and over, while it was 99.0 per cent in the case of banks with assessable deposits of Rs. 1 crore or less. The extent of cover expressed as a percentage of insured deposits to total assessable deposits varied from 49.0 per cent to 65.2 per cent, in the case of banks with deposits of Rs. 25 crores and over, while it was as high as 77.5 per cent in the case of banks with deposits of Rs. 1 crore or less.

6. The number of commercial banks in the country has gradually been reduced as a result of the policy followed by the Reserve Bank for some time, of encouraging reconstruction and amalgamation of small banks in order to make the banking system more viable. Mainly as a consequence of such reconstruction and amalgamation, the number of insured banks has been progressively reduced. There were 287 insured banks at the time of the establishment of the Corporation. By the end of 1970 these had been reduced to 83 (vide list given in Appendix II).

7. The table below indicates the reduction in the number of insured banks from year to year.

Year	No. of registered banks as at the commencement of the year	No. OF BANKS DEREGISTERED			No. of registered banks as at the close of the year
		Total	Where Corporation's liability		
			was attracted	was not attracted	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1962	287	11	2	9	276
1963	276	26	1	25	250
1964	250	94	6	88	157@
1965	157	48	—	48	109
1966	109	10	2	8	100@
1967	100	9	—	9	91
1968	91	3	—	3	88
1969	88	3	2	1	85
1970	85	2	1	1	83
		206	14	192	

@ After taking into account one bank which started functioning during the year.

The assessable deposits of all the 206 banks when their registration was cancelled, amounted to Rs. 80.26 crores, of which those of the 14 banks in the case of which the Corporation's liability arose, amounted to Rs. 29.96 crores. The Corporation's liability in the case of 14 banks worked out to Rs. 1.13 crores.

8. The provisions of the Deposit Insurance Corporation (Amendment) Act, 1968, which received the assent of the President on the 27th December 1968, were not brought into force, pending enactment of the necessary legislation by the various States so as to make the co-operative banks in the respective States eligible for deposit insurance scheme. The States of Maharashtra, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and the Union Territory of Goa, Daman and Diu have since amended their Co-operative Societies Acts on the lines suggested by the Reserve Bank of India and the Government has issued the necessary notification, bringing into force the provisions of the Deposit Insurance Corporation (Amendment) Act, 1968 in relation to these States and the Union Territory, with effect from the 1st July 1971. These three States and the Union Territory account for 382 out of 1318 co-operative banks in India. The Reserve Bank of India is actively pursuing the matter with other State Governments in order to enable the Deposit Insurance Corporation to extend the benefit of the scheme to a reasonably large number of eligible co-operative banks as soon as this may be practicable.

Accounts

9. The balance sheet and revenue account of the Corporation as at the close of business on the 31st December 1970 are attached, together with the auditors' report thereon.

Account

10. As a result of the increase in the amount of assessable deposits during 1970, the income from insurance premium during the year was higher at Rs. 266.70 lakhs as compared with Rs. 230.73 lakhs in 1969. Income from investments during the year was also higher at Rs. 84.80 lakhs as against Rs. 71.75 lakhs in the previous year. After providing for estimated insurance loss in respect of claims paid by the Corporation and for depreciation in the value of investments, a net amount of Rs. 316.80 lakhs has been transferred to the Deposit Insurance Fund raising it from Rs. 1,414.47 lakhs as at the end of 1969 to Rs. 1,731.27 lakhs as at the close of the year 1970. The Fund has been built up by the addition of income from insurance premia aggregating Rs. 1,484.33 lakhs and income from investments at Rs. 302.14 lakhs and after deduction of Rs. 55.20 lakhs to provide for depreciation in the value of investments and for insurance losses (Chart IV). The amounts of the Deposit Insurance Fund and the ratios of the said amounts to the total assessable deposits and insured deposits since 1962 are shown in the table below :—

As at the end of	Amount of the Fund (in lakhs of rupees)	Percentage of the Fund to assessable deposits	Percentage of the Fund to insured deposits
(1)	(2)	(3)	(4)
1962	92.84	0.05	0.20
1963	202.70	0.10	0.40
1964	320.67	0.13	0.56
1965	466.63	0.17	0.68
1966	648.29	0.20	0.79
1967	859.37	0.24	0.91
1968	1,113.49	0.28	0.55
1969	1,414.47	0.30	0.60
1970	1,731.27	0.32	0.51

11. The market rates of Government securities remained steady during the major part of the year but eased slightly in the last quarter of the year. In view of the favourable market quotations of the 5½% 1999 and 4½% 1971 Loans, it was decided to sell these loans and to reinvest the proceeds in the same interest-rate bearing securities of longer maturity, viz. the 5½% 2000 and 4½% 1986 Loans. The Corporation was able to earn a net profit of Rs. 3.58 lakhs as a result of this switch without any reduction in the flat or current yields. The market value of the investments of the Deposit Insurance Fund as on the 31st December 1970 at Rs. 1,687.87 lakhs was lower by Rs. 7.71 lakhs than their cost at Rs. 1,695.58 lakhs (vide particulars furnished in Appendix III). As the existing provision of Rs. 5.50 lakhs for depreciation in the value of investments in the Fund was not sufficient to cover the depreciation, a further provision of Rs. 2.50 lakhs has been made out of the income from investments for the year 1970, raising it to Rs. 8.00 lakhs.

12. During the year, the registration of the undernoted two insured banks was cancelled for the reasons stated against their names.

Name of insured bank	Reason for cancellation of registration	Date of cancellation of registration	Assessable deposits as on the date of de-registration (In lakhs of rupees)	Name of transferee bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. National Bank of Lahore Ltd., Delhi	Amalgamation under section 45 of the Banking Regulation Act, 1949	23-2-1970	883.03	State Bank of India
2. Punjab & Kashmir Bank Ltd., Delhi	Transfer of liabilities and equivalent assets	28-2-1970	14.17	New Bank of India Ltd.


Of these two banks, the Corporation's liability for the payment of the insured deposits was attracted only in the case of the National Bank of Lahore Ltd. The Corporation had to pay or make provision for claims to the extent of Rs. 9.69 lakhs, being the difference between the insured amount and the initial credit of 97% afforded by the transferee bank out of the readily realisable assets taken over by it. The depositors of the National Bank of Lahore Ltd. were, however, paid in full by the State Bank of India in consultation with the Corporation, the Reserve Bank of India and the Central Government, on the understanding that the Corporation will reimburse the State Bank of India, with the amount of the difference between the pro-rata payment at 97% of the balance due out of realisable assets under the scheme and the actual insured deposits up to and including Rs. 5,000. It was stated in the last report that the list of depositors of the Bank of Behar Ltd. submitted to the Corporation by the State Bank of India under section 18(1) of the Deposit Insurance Corporation Act, was being scrutinised at the end of the year 1969. The Corporation's liability for payment of insured deposits worked out to Rs. 46.40 lakhs and this amount was duly paid or provided for by it.

As a result of the claims met in respect of the Bank of Behar Ltd. and the National Bank of Lahore Ltd., the total claims paid or provided for by the Corporation since its inception, increased from Rs. 57.03 lakhs to Rs. 113.12 lakhs.

13. An amount of Rs. 1.82 lakhs was received by the Corporation from the transferee banks during the year towards reimbursements of claims paid or provided for by it, raising the total reimbursements so received to Rs. 37.54 lakhs. The position as at the close of 1970 regarding the claims paid or provided for and the total reimbursements received in the case of 14 banks, is shown in Appendix IV. It will be seen therefrom that the net amount to be recovered by the Corporation on account of claims paid or provided for by it in respect of these banks stood at Rs. 75.58 lakhs.


NUMBER OF INSURED ACCOUNTS

(AS ON LAST FRIDAY)
(IN LAKHS)




AMOUNT OF INSURED DEPOSITS

(AS ON LAST FRIDAY)
CRORES OF RUPEES




INSURANCE COVERAGE

**TOTAL NUMBER OF INSURED ACCOUNTS
IN COMMERCIAL BANKS
(SEPTEMBER 1970)**




2,40,39,881 ACCOUNTS

**TOTAL AMOUNT OF ASSESSABLE DEPOSITS
IN COMMERCIAL BANKS
(SEPTEMBER 1970)**



Rs. 5457,19.23 LAKHS

GROWTH OF DEPOSIT INSURANCE FUND (LAKHS OF RUPEES)



14. The prospects of receiving reimbursements in respect of outstanding claims paid or provided for in respect of each bank were reviewed at the end of the year with reference to the assets held by banks in collection accounts and the existing provision of Rs. 15.00 lakhs was raised to Rs. 47.20 lakhs by transfer from the Revenue Account of the Fund.

General Fund

15. The income of the General Fund for the year 1970 amounted to Rs. 5.43 lakhs, while establishment and other expenses of the Corporation amounted to Rs. 3.36 lakhs, leaving a surplus of Rs. 2.07 lakhs which has been transferred to General Reserve. The establishment and other expenses of the Corporation, which are entirely borne by the Revenue Account General Fund, increased by Rs. 0.23 lakh from Rs. 3.13 lakhs in 1969 to Rs. 3.36 lakhs in 1970 mainly because of the higher expenses on account of salaries, allowances, etc. paid to all categories of staff.

16. The holdings in the General Fund of 3% 1970-75 Loan of the face value of Rs. 0.75 lakh matured for payment during the year and their proceeds were re-invested in the 5½% 2000 Loan. This resulted in a net profit of Rs. 0.09 lakh. The investments held in the General Fund as at the close of the year amounted to Rs. 117.21 lakhs at cost. The depreciation in the value of these investments, which amounted to Rs. 0.30 lakh at the end of 1969 increased to Rs. 0.74 lakh (vide Appendix III). As the existing provision of Rs. 6.10 lakhs for depreciation in the value of investments in the Fund was considered more than adequate, an amount of Rs. 3.00 lakhs was transferred therefrom to the General Reserve, leaving a balance of Rs. 3.10 lakhs in the Investment Reserve Account.

17. It was stated in the last annual report that the Working Group constituted by the Government of India to evolve a comprehensive scheme of insurance to cover the credit risks incurred by lending banks in granting loans to relatively neglected sectors, had recommended that the Deposit Insurance Corporation should be entrusted with the implementation of the Credit Insurance Scheme. It was, however, subsequently decided that the scheme should be administered by a separate joint stock company. The Credit Guarantee Corporation of India Ltd. has since been registered on the 14th January 1971, having its registered office at Bombay and an authorised capital of Rs. 10 crores.

18. Shri R. K. Seshadri who was the Executive Director of the Corporation from the 2nd August 1966, was nominated by the Reserve Bank of India as a Director of the Corporation under section 6(1)(b) of the Deposit Insurance Corporation Act, 1961 with effect from the 7th May 1970 vice Shri B. N. Adarkar. He continued as Director till the 18th December 1970 when Shri S. S. Shiralkar who took over as Deputy Governor on that date, was nominated as Director in his place.

The term of office of Shri P. K. Ghosh as a Director of the Corporation under clause (d) of subsection (1) of section 6 of the Act, expired on the 31st December 1970. No director has yet been appointed in his place.

19. Meetings of the Board of Directors and of the Executive Committee were each held four times during the year.

20. With the previous approval of the Reserve Bank of India, the Board of Directors appointed Messrs K. S. Aiyar & Co. as auditors of the Corporation for the year 1970.

Auditors

21. The administrative arrangements with the Reserve Bank of India for making available to the Corporation office accommodation and other incidental facilities, continued during the year.

ON BEHALF OF THE CORPORATION,

S. JAGANNATHAN

Chairman.

Bombay, Dated the 22nd March 1971.

APPENDIX I.

ANALYSIS OF COVERAGE OF INSURANCE ACCORDING TO THE SIZE OF THE BANKS

(As on the last Fridays of December 1961 and September each of 1962 to 1970)

(Amounts in lakhs of rupees)

	No. of banks	No. of fully protected accounts (i.e. those with balances not exceeding Rs. 1500 till end of 1967, Rs. 5000 till 31-3-1970 and Rs. 10,000 thereafter)	Total number of accounts	% of (2) to (3)	Insured deposits upto Rs. 1500 in all accounts till end of 1967, Rs. 5000 till 31-3-1970 and Rs. 10,000 thereafter)	Total amount of deposits assessable to premium	% of (5) to (6)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
BANKS WITH DEPOSITS:							
(i) exceeding Rs. 100 crores							
1961	5	19,07,565	26,08,513	73.1	17244.19 86024.65 20.4
1962	5	20,56,863	28,61,493	71.9	19855.88 96614.94 20.5
1963	5	23,03,769	32,01,003	72.0	22279.55 108010.07 20.6
1964	6	30,74,624	42,29,309	72.7	29088.07 138462.50 21.0
1965	7	39,65,311	54,77,182	72.4	37999.30 166473.38 22.8
1966	8	50,96,334	70,56,148	72.2	49678.17 207848.96 23.9
1967	9	66,42,248	90,41,212	73.5	61039.83 243480.54 25.1
1968	11	1,00,17,283	1,11,98,695	89.5	145059.51 293553.75 49.4
1969	13	1,34,26,587	1,49,27,864	89.9	183358.19 361872.86 50.7
1970*	13	1,69,51,714	1,76,55,451	96.0	262032.12 425597.36 61.6
(ii) exceeding Rs. 50 crores but up to Rs. 100 crores							
1961	5	7,70,242	10,14,608	75.8	6197.07 31166.68 19.8
1962	5	8,25,565	10,96,603	75.3	6813.43 33754.29 20.2
1963	4	9,09,942	12,13,716	75.0	7614.56 31888.94 23.9
1964	5	13,85,569	17,80,744	77.8	10333.84 38319.58 27.0
1965	6	21,19,236	26,29,196	80.6	13441.78 43504.23 30.9
1966	8	27,12,915	33,44,641	81.1	16821.24 56402.65 29.8
1967	7	24,04,677	29,85,961	80.5	15648.78 51198.50 30.6
1968	5	26,15,724	27,62,162	94.7	21731.23 37076.06 58.6
1969	6	20,21,341	21,65,761	93.3	20226.22 39500.58 51.2
1970	9	31,89,431	32,83,480	97.1	39048.51 59899.14 65.2
(iii) exceeding Rs. 25 crores but up to Rs. 50 crores							
1961	5	6,71,802	8,31,405	80.8	4305.59 15026.17 28.7
1962	5	7,54,562	9,47,116	79.6	5068.76 17148.89 29.5
1963	6	13,05,115	15,84,932	82.3	7635.97 27658.34 27.6
1964	8	14,06,449	16,86,914	83.4	7775.89 31144.64 25.0
1965	9	12,98,142	16,14,713	80.4	8512.36 33181.42 25.7
1966	8	10,76,654	13,49,163	79.8	6953.68 28241.16 24.6
1967	10	12,87,232	16,26,261	79.2	8549.17 36531.65 23.4
1968	10	14,50,790	15,87,460	91.4	16830.64 38908.14 43.3
1969	7	11,14,532	12,15,328	91.7	13083.03 29089.03 45.0
1970	5	7,05,057	7,29,686	96.6	10190.55 20793.21 49.0
(iv) exceeding Rs. 10 crores but up to Rs. 25 crores							
1961	11	9,51,626	11,30,263	84.2	4952.99 17871.79 27.7
1962	11	10,26,510	12,33,390	83.2	5828.39 21796.82 26.7
1963	12	9,89,313	12,25,841	80.7	6286.75 24696.62 25.5
1964	9	6,85,824	8,46,847	81.0	4156.66 17710.56 23.5
1965	7	3,81,855	4,90,263	77.9	2719.16 12343.60 22.0
1966	6	3,23,116	4,10,032	78.8	2188.51 10178.57 21.5
1967	8	5,66,097	6,94,121	81.6	3395.39 10513.08 32.3
1968	10	7,74,261	8,31,448	93.1	8067.82 13730.52 58.8
1969	13	10,67,445	11,44,792	93.2	10929.91 19644.14 55.6
1970*	13	12,58,336	12,87,543	97.7	14443.97 21823.63 66.2

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
(v) exceeding Rs. 1 crore but up to Rs. 10 crores									
1961	45	8,80,365	10,55,542	83.4	4775.77	15521.78	30.8
1962	44	9,45,560	11,40,084	82.9	5410.09	16298.88	33.1
1963	42	8,07,526	9,72,810	83.0	4616.52	15063.93	30.6
1964	38	8,22,542	9,99,196	82.3	4830.59	15234.29	31.7
1965	45	10,04,606	12,13,486	82.8	5747.14	17408.50	33.0
1966	45	10,73,854	13,06,528	82.2	6342.99	19887.97	31.9
1967	40	9,05,355	11,06,705	81.8	5361.91	17871.08	30.0
1968	39	10,48,011	11,19,936	93.6	10285.43	17488.71	58.8
1969	35	9,29,054	9,95,473	93.3	9466.18	16428.58	57.6
1970	34	10,24,910	10,47,620	97.8	11690.13	17318.48	67.5
(vi) Rs. 1 crore or less									
1961	214	3,60,052	4,18,117	86.1	1756.20	3763.70	46.7
1962	203	3,68,360	4,24,862	86.7	1823.61	3913.47	46.5
1963	191	3,36,401	3,88,630	86.6	1582.94	3360.00	47.1
1964	138	2,51,218	2,94,166	85.4	1251.60	2857.08	43.8
1965	43	1,28,655	1,51,076	85.2	642.37	1483.31	43.3
1966	28	81,280	97,106	83.7	444.72	1071.98	41.5
1967	19	60,923	71,581	85.1	296.02	754.62	39.2
1968	13	46,204	47,849	96.6	304.03	430.51	70.6
1969	12	50,092	51,886	96.5	341.53	473.11	72.2
1970*	9	35,748	36,101	99.0	222.83	287.41	77.5
TOTALS :									
1961	285	55,41,652	70,58,448	78.5	39231.81	169374.77	23.1
1962	273	59,77,420	77,03,548	77.6	44800.16	189527.29	23.6
1963	260	66,52,066	85,86,932	77.5	50016.29	210677.90	23.7
1964	204	76,26,226	98,37,176	77.5	57436.65	243728.65	23.6
1965	117	88,97,805	1,15,75,916	76.9	69062.11	274394.44	25.2
1966	103	1,03,64,153	1,35,63,618	76.4	82429.31	323631.29	25.5
1967	93	1,18,66,532	1,55,25,841	76.4	94291.10	360349.47	26.2
1968	88	1,59,52,273	1,75,47,550	90.9	202278.66	401187.69	50.4
1969	86	1,86,09,051	2,05,01,104	90.8	237405.06	467008.30	50.8
1970*	83	2,31,65,196	2,40,39,881	96.4	337628.11	545719.23	61.9

* Provisional figures.

APPENDIX II

List of Registered Insured Banks as on the 31st December 1970

- * 1. Allahabad Bank, Calcutta
2. American Express International Banking Corporation, Bombay
3. Andhra Bank Ltd., Machilipatnam
4. Bank of America National Trust and Savings Association, Bombay
- * 5. Bank of Baroda, Baroda
6. Bank of Cochin Ltd., Ernakulam
- * 7. Bank of India, Bombay
8. Bank of Karad Ltd., Karad
9. Bank of Madura Ltd., Madurai
- *10. Bank of Maharashtra, Poona
11. Bank of Rajasthan Ltd., Jaipur
12. Bank of Tokyo Ltd., Calcutta
13. Banque Nationale De Paris, Bombay
14. Bareilly Corporation (Bank) Ltd., Bareilly
15. Bari Doab Bank Ltd., Hoshiarpur
16. Belgaum Bank Ltd., Belgaum
17. Benares State Bank Ltd., Varanasi
18. British Bank of the Middle East, Bombay
- *19. Canara Bank, Mangalore
20. Canara Banking Corporation Ltd., Udipi
21. Catholic Syrian Bank Ltd., Trichur
- *22. Central Bank of India, Bombay
23. Chartered Bank, Calcutta
- *24. Dena Bank, Bombay
25. Dhanalakshmi Bank Ltd., Trichur
26. Eastern Bank Ltd., Calcutta
27. Federal Bank Ltd., Alwaye
28. First National City Bank, Bombay
29. Ganesh Bank of Kurundwad Ltd., Kurundwad
30. Gauhati Bank Ltd., Gauhati
31. General Bank of the Netherlands, Calcutta
32. Hindustan Commercial Bank Ltd., Kanpur
33. Hindusthan Mercantile Bank Ltd., Calcutta
34. Hongkong & Shanghai Banking Corporation, Calcutta
- *35. Indian Bank, Madras
- *36. Indian Overseas Bank, Madras
37. Jammu & Kashmir Bank Ltd., Srinagar
38. Jharia Industrial Bank Private Ltd., Jharia
39. Karnataka Bank Ltd., Mangalore
40. Karur Vysya Bank Ltd., Karur
41. Kashi Nath Seth Bank Private Ltd., Shahajahanpur
42. Krishnaram Baldeo Bank Ltd., Gwalior
43. Kumbakonam City Union Bank Ltd., Kumbakonam
44. Lakshmi Commercial Bank Ltd., New Delhi
45. Lakshmi Vilas Bank Ltd., Karur
46. Lord Krishna Bank Ltd., Cranganore
47. Mercantile Bank Ltd., Bombay
48. Miraj State Bank Ltd., Miraj
49. Mitsui Bank Ltd., Bombay
50. Naini Tal Bank Ltd., Naini Tal
51. Narang Bank of India Ltd., New Delhi
52. National and Grindlays Bank Ltd., Calcutta
53. Nedungadi Bank Ltd., Kozhikode

54. New Bank of India Ltd., New Delhi
55. Oriental Bank of Commerce Ltd., Delhi
56. Parur Central Bank Ltd., North Parur
57. Punjab Co-operative Bank Ltd., Jullundur City
- *58. Punjab National Bank, New Delhi
59. Punjab & Sind Bank Ltd., New Delhi
60. Ratnakar Bank Ltd., Kolhapur
61. Sahukara Bank Ltd., Ludhiana
62. Sangli Bank Ltd., Sangli
63. South India Bank Ltd., Tirunelveli
64. South Indian Bank Ltd., Trichur
65. State Bank of Bikaner & Jaipur, Jaipur City
66. State Bank of Hyderabad, Hyderabad
67. State Bank of India, Bombay
68. State Bank of Indore, Indore
69. State Bank of Mysore, Bangalore
70. State Bank of Patiala, Patiala
71. State Bank of Saurashtra, Bhavnagar
72. State Bank of Travancore, Trivandrum
- *73. Syndicate Bank, Manipal
74. Tamil Nad Mercantile Bank Ltd., Tuticorin
75. Tanjore Permanent Bank Ltd., Tanjore
76. Traders' Bank Ltd., New Delhi
- *77. Union Bank of India, Bombay
- *78. United Bank of India, Calcutta
- *79. United Commercial Bank, Calcutta
80. United Industrial Bank Ltd., Calcutta
81. United Western Bank Ltd., Satara City
82. Vijaya Bank Ltd., Mangalore
83. Vysya Bank Ltd., Bangalore

* Corresponding New Banks

APPENDIX III

Statement of investments in Central Government securities as on the 31st December 1970.

Particulars				Face value Rs.	Book value Rs.	Market Rate Rs. %	Market value Rs.
				(1)	(2)	(3)	(4)
DEPOSIT INSURANCE FUND :							
4½%	1986	2,68,96,900.00	2,65,60,688.75	95.15	2,55,92,400.35
5%	1982	1,30,55,000.00	1,31,58,440.00	102.25	1,33,48,737.50
5½%	1990	1,70,000.00	1,70,510.00	103.50	1,75,950.00
5½%	2000	11,86,09,700.00	11,86,69,004.85	100.05	11,86,69,004.85
5½%	2000 (Re-issue)	1,09,95,000.00	1,09,98,862.50	100.05	1,10,00,497.50
				<u>16,97,26,600.00</u>	<u>16,95,57,506.10</u>		<u>16,87,86,590.20</u>
Less : Provision for depreciation				..	8,00,000.00		
				..	<u>16,87,57,506.10</u>		
GENERAL FUND							
3½%	1974	25,00,000.00	24,88,750.00	98.45	24,61,250.00
4%	1972	1,05,000.00	1,02,962.50	100.00	1,05,000.00
4%	1981	25,00,000.00	24,62,500.00	94.95	23,73,750.00
4½%	1972	1,00,000.00	1,00,000.00	100.50	1,00,500.00
4½%	1973	30,000.00	30,000.00	100.30	30,090.00
4½%	1971	10,75,000.00	10,69,625.00	100.50	10,80,375.00
4½%	1985	1,00,000.00	1,00,075.00	95.85	95,850.00
4½%	1986	1,00,000.00	1,00,000.00	95.15	95,150.00
4¾%	1972	1,00,000.00	1,00,000.00	101.45	1,01,450.00
4¾%	1989	2,20,000.00	2,19,125.00	97.00	2,13,400.00
5%	1982	15,00,000.00	15,00,000.00	102.25	15,33,750.00
5½%	1991	1,10,000.00	1,09,012.50	102.40	1,12,640.00
5½%	1999	30,91,400.00	30,99,248.50	100.40	31,03,765.60
5½%	2000	1,10,000.00	1,10,060.00	100.05	1,10,055.00
5½%	2000 (Re-issue)	1,30,000.00	1,30,017.50	100.05	1,30,065.00
				<u>1,17,71,400.00</u>	<u>1,17,21,376.00</u>		<u>1,16,47,090.60</u>

APPENDIX IV.
CLAIMS PAID OR PROVIDED FOR AND REIMBURSEMENTS
RECEIVED
(AS ON 31-12-1970)

(Amounts in lakhs of rupees)

Year	Name of Bank	Date of first remittance in full satisfaction of claims as per list of depositors	Insured deposits already paid	Insured deposits remaining unclaimed and provided for	Total insured deposits paid or provided for
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1962	—	—	—	—	—
1963	(i) Bank of China	27-4-1963	6.43	2.82*	9.25
	(ii) Unity Bank Ltd., Madras	13-9-1963	2.52	0.02	2.54
	(iii) Bank of Alagapuri Ltd., Alagapuri	24-12-1963	0.28	—	0.28
				(Rs. 43)	
			9.23	2.84	12.07
1964	(iv) Metropolitan Bank Ltd., Calcutta	6-5-1964	8.74	0.06	8.80
	(v) Cochin Nayar Bank Ltd., Trichur	3-6-1964	7.04	0.06	7.10
	(vi) Latin Christian Bank Ltd., Ernakulam	19-11-1964	2.08	—	2.08
	(vii) Unao Commercial Bank Ltd., Unnao	26-11-1964	1.06	(Rs. 201) 0.02	1.08
	(viii) Southern Bank Ltd., Calcutta	12-12-1964	7.28	0.06	7.34
			26.20	0.20	26.40
1965	(ix) Shree Jadeya Shankarling Bank Ltd., Bijapur	1-2-1965	0.12	—	0.12
1966	(x) National Bank of Pakistan, Calcutta	20-9-1966	0.99	—	0.99
	(xi) Habib Bank Ltd., Bombay	5-10-1966	15.76	1.51*	17.27
			16.75	1.51	18.26
1967	—	—	—	—	—
1968	—	—	—	—	—
1969	(xii) Chawla Bank Ltd., Dehra Dun	13-10-1969	0.18	—	0.18
				(Rs. 2.65)	
1970	(xiii) Bank of Behar Ltd., Patna	15-5-1970	46.03	0.37*	46.40
	(xiv) National Bank of Lahore Ltd., Delhi	20-7-1970	9.30	0.39	9.69
			55.33	0.76	56.09
		TOTAL	107.81	5.31	113.12
		Less : Reimbursements received upto the end of the year	33.21	4.33	37.54
			74.60	0.98	75.58

* The figures of Rs. 2.82 lakhs, Rs. 1.51 lakhs and Rs. 0.37 lakh are inclusive of Rs. 0.31 lakh, Rs. 0.01 lakh, and Rs. 0.01 lakh respectively, representing claims of traceable depositors pending disbursements.

Note : The figures of claims given above are after effecting adjustments in respect of (i) cases where it was subsequently found that more than one deposit account were held by a depositor in the same capacity and right, (ii) cases where more than one deposit account treated as having been held by a depositor in the same capacity and right were subsequently found to have been net so held, (iii) reconstruction of balances in some deposit accounts and (iv) payments to certain depositors who were originally treated as untraceable but later lodged their claims.

REPORT OF THE AUDITORS

We have audited the attached Balance Sheet of the DEPOSIT INSURANCE CORPORATION as at 31st December, 1970, showing the position of the DEPOSIT INSURANCE FUND AND THE GENERAL FUND respectively as on that date and also the REVENUE ACCOUNTS annexed to the said Balance Sheets showing the income and expenditure of the abovementioned two Funds for the year ended on that date, and report on the said Balance Sheets and Accounts as follows:

1. We have obtained all the information and explanations we have required for the purpose of our audit and the same have been satisfactory.
2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said Balance Sheet is a full and fair Balance Sheet and is properly drawn up containing all the necessary particulars so as to exhibit a true and correct view of the state of affairs of the Corporation as at 31st December, 1970 and is also properly drawn up in accordance with the requirements of Regulation 18 of the Deposit Insurance Corporation General Regulations, 1961.

Bombay, 23rd March, 1971

K. S. AIYAR & CO.
Chartered Accountants.

DEPOSIT INSURANCE

(Established under the Deposit
Regulation

Balance Sheet as at the close of business

I — DEPOSIT

<i>As at the 31st December 1969</i>			
Rs. p.	LIABILITIES	Rs. p.	Rs. p.
11,13,49,413.70	1. FUND : Balance at the beginning of the year	14,14,47,257.17	
3,00,97,843.47	<i>Add</i> : Net accretion to the Fund during the year trans- ferred from the Revenue Account	3,16,79,939.76	
14,14,47,257.17	Balance at the end of the year		17,31,27,196.93
—	2. Advance from the Reserve Bank of India (Section 26 of the Deposit Insurance Corporation Act)		—
—	3. Advance from the General Fund (Section 27 of the De- posit Insurance Corporation Act)		—
4,57,297.21	4. Insured deposits remaining unclaimed (per contra) (As per Annexure II)		5,30,534.64
—	5. Insured deposits in banks whose registration as insured banks has been cancelled (per contra)		—
1,02,885.54	6. Other Liabilities : Excess premium refundable to banks		2,08,376.07
<u>14,20,07,439.92</u>			<u>17,38,66,107.64</u>

As per our report of even date attached

K. S. AIYAR & CO.

Chartered Accountants

Bombay, 23rd March 1971

CORPORATION

Insurance Corporation Act, 1961)

18—Form 'A'

on the 31st December 1970

INSURANCE FUND

As at the 31st December 1969 Rs. p.	ASSETS		Rs. p.		Rs. p.	
	10,133.99	1. Balance with the Reserve Bank of India				
13,93,51,816.82	2. Investments in Central Government Securities (at cost less provision of Rs. 8,00,000 for depreciation)					16,87,57,506.10
(13,96,77,600.00)	(Face value Rs. 16,97,26,600.00)					
(14,05,17,334.10)	(Market value Rs. 16,87,86,590.20)					
18,26,959.51	3. Interest accrued on investments					20,61,195.52
21,09,187.77	4. Subrogated claims of depositors in respect of insured deposits already paid		74,60,395.09			
14,86,608.00	Less : Provision for estimated insurance losses (As per Annexure I)		46,54,117.00			
6,22,579.77						28,06,278.09
4,57,297.21	5. (a) Subrogated claims of depositors in respect of insured deposits remaining unclaimed (per contra) Rs. 5,30,534.64					
4,35,072.09	Less : Reimbursements received to date .. Rs. 4,33,052.94					
22,225.12				97,481.70		
—	(b) Subrogated claims of depositors in respect of insured deposits in banks whose registration as insured banks has been cancelled			—		
22,225.12				97,481.70		
13,392.00	Less : Provision for estimated insurance losses ..			65,883.00		
8,833.12						31,598.70
1,77,763.83	6. Other Assets :					
	Outstanding premium due from banks		1,94,811.13			
9,352.88	Amount paid towards claims under Section 17(2) of the Act remaining undisbursed		7,750.55			
1,87,116.71						2,02,561.68
14,20,07,439.92						17,38,66,107.64

M. J. AMBANI

Manager

Bombay, 22nd March 1971

S. JAGANNATHAN

Chairman

S. S. SHIRALKAR
D. N. GHOSH
V. H. VORA

Directors

DEPOSIT INSURANCE
(Established under the Deposit
Regulation
Balance Sheet as at the close of
II—GENERAL

<i>As at the 31st December 1969</i>	..	LIABILITIES	Rs.	p.	Rs.	p.
<i>1,00,00,000.00</i>		1. CAPITAL :				
		Provided by the Reserve Bank of India under Section 4 of the Deposit Insurance Corporation Act				
		2. RESERVES :				
<i>10,52,593.44</i>		General Reserve	15,59,833.48			
<i>6,10,000.00</i>		Investment Reserve	3,10,000.00			
<i>—</i>		Other Reserves	—			
<i>16,62,593.44</i>						18,69,833.48
		3. CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS :				
<i>—</i>		Staff Provident Fund	—			
<i>—</i>		Staff Gratuity Fund	—			
		Other Liabilities :				
<i>35,836.16</i>		Outstanding expenses	70,223.62			
<i>—</i>		Sundry Creditors	381.90			
<i>35,836.16</i>						70,605.52
<i>1,16,98,429.60</i>						1,19,40,439.00

As per our report of even date attached

K. S. AIYAR & CO.

Chartered Accountants

Bombay, 23rd March 1971

CORPORATION

Insurance Corporation Act, 1961)

18—Form 'A'

business on the 31st December 1970

FUND

<i>As at the 31st December 1969</i>	ASSETS	Rs.	p.	Rs.	p.
	1. CASH :				
92.20	(i) In hand			92.50	
24,402.19	(ii) With Reserve Bank of India			13,688.34	
24,494.39					13,780.84
1,14,71,823.50	2. INVESTMENTS IN CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES (at cost)				
(1,15,31,400.00)	(Face value Rs. 1,17,71,400.00)				1,17,21,376.00
(1,14,42,144.90)	(Market value Rs. 1,16,47,090.60) ..				
1,85,416.93	3. INTEREST ACCRUED ON INVESTMENTS ..				1,88,494.77
—	4. ADVANCE TO THE DEPOSIT INSURANCE FUND, IF ANY (vide Section 27 of the Deposit Insurance Corporation Act)				—
	5. OTHER ASSETS :				
10,282.21	Furniture, Fixtures and Equipment, less depreciation			10,233.72	
1,682.13	Stock of stationery			1,999.38	
208.00	Library books, less depreciation			211.32	
3,903.00	Deposits under 'Own Your Telephone Scheme' ..			3,643.00	
619.44	Prepaid expenses			699.97	
16,694.78					16,787.39
<u>1,16,98,429.60</u>					<u>1,19,40,439.00</u>

M. J. AMBANI

Manager

S. JAGANNATHAN

Chairman

S. S. SHIRALKAR }
D. N. GHOSH }
V. H. VORA }

Directors

Bombay, 22nd March 1971

CORPORATION

B)

for the year ended the 31st December 1970

Previous year Rs. p.	INCOME	Rs. p.	Rs. p.
2,30,72,864.73	By Insurance Premium (including interest)		2,66,70,105.89
71,74,978.74	By Income from investments (less provision for depreciation : Rs. 2,50,000) ..		82,29,833.87
3,02,47,843.47			3,48,99,939.76

M. J. AMBANI

Manager

S. JAGANNATHAN

Chairman

S. S. SHIRALKAR
D. N. GHOSH
V. H. VORA

} Directors

Bombay, 22nd March 1971

DEPOSIT INSURANCE

(Form

II—Revenue Account (General Fund)

Previous year		EXPENDITURE	Rs. p.	
Rs.	p.		Rs.	p.
2,35,890.24		To Salaries and allowances and contribution to Provident Fund ..	2,57,188.82	
10,625.28		„ Contribution to Staff Pension and Gratuity Fund	14,137.92	
1,350.00		„ Directors' and Committee Members' fees	1,050.00	
8,124.00		„ Directors' and Committee Members' travelling and other allowances	8,050.20	
37,933.84		„ Rent, taxes, insurance, lighting etc.	38,304.71	
1,119.85		„ Establishment—Travelling and halting allowances	—	
5,221.48		„ Printing and Stationery	6,168.48	
2,473.20		„ Postage, telegrams and telephones	2,623.85	
2,500.00		„ Auditors' fees	2,500.00	
252.00		„ Legal charges	367.00	
5,986.02		„ Miscellaneous expenses	4,211.10	
1,887.76		„ Depreciation	1,832.82	
2,38,502.89		„ Balance, being excess of income over expenditure carried down ..	2,07,240.04	
<u>5,51,866.56</u>			<u>5,43,674.94</u>	
2,38,502.89		To Transfer to General Reserve	2,07,240.04	
—		„ Transfer to Other Reserves	—	
—		„ Transfer to Investment Reserve	—	
<u>2,38,502.89</u>			<u>2,07,240.04</u>	

As per our report of even date attached

K. S. AIYAR & CO.

Chartered Accountants

Bombay, 23rd March 1971

CORPORATION

B)

for the year ended the 31st December 1970

Previous year Rs. p.	INCOME	Rs. p.
5,51,843.22	By Income from investments	5,43,652.74
—	„ Interest on Advance to Deposit Insurance Fund	—
23.34	„ Miscellaneous receipts	22.20
<u>5,51,866.56</u>		<u>5,43,674.94</u>
2,38,502.89	By Balance, being excess of income over expenditure brought down ..	2,07,240.04
<u>2,38,502.89</u>		<u>2,07,240.04</u>

M. J. AMBANI
Manager

S. JAGANNATHAN Chairman
S. S. SHIRALKAR }
D. N. GHOSH }
V. H. VORA } Directors

Bombay, 22nd March 1971

ANNEXURE I

SUBROGATED CLAIMS OF DEPOSITORS

	Rs.	p.	Rs.	p.
Total amount paid until the end of the previous year (After adding Rs. 3,891.89 transferred from untraceable accounts to traceable accounts and after deducting Rs. 1,500/- received back from the Custodian of Enemy Property for payment to a Chinese depositor)			52,48,342.	34
<i>Less :</i> (i) Reimbursements received until the end of the previous year (After adding Rs. 2,310.93 transferred from untraceable to traceable accounts)	31,39,073.			
(ii) Claims written off until the end of the previous year	NIL			
(iii) Provision for estimated losses until the end of the previous year	<u>14,86,608.00</u>		<u>46,25,681.</u>	<u>61</u>
Net amount paid as at the beginning of the year <i>less</i> provision for estimated losses			6,22,660.	73
<i>Add :</i> Insured deposits paid during the year			<u>55,33,738.51</u>	
			61,56,399.	24
<i>Less :</i> (i) Reimbursements received during the year	1,82,612.15			
(ii) Claims written off during the year	NIL			
(iii) Provision for estimated losses made during the year	<u>31,67,509.00</u>		<u>33,50,121.</u>	<u>15</u>
Net amount paid as at the end of the year <i>less</i> provision for estimated losses ..			<u>28,06,278.</u>	<u>09</u>

ANNEXURE II

INSURED DEPOSITS REMAINING UNCLAIMED AS ON THE 31ST DECEMBER 1970

	Rs.	p.
Amount outstanding at the beginning of the year		4,57,297.21
<i>Add :</i> (i) Amount of insured deposits tendered during the year but remaining unclaimed		75,629.32
(ii) Amount of insured deposits received back from the Custodian of Enemy Property for payment to a Chinese depositor remaining unpaid		<u>1,500.00</u>
		<u>5,34,426.53</u>
<i>Less :</i> Amount claimed and paid during the year		3,891.89
Total insured deposits remaining unclaimed at the end of the year		<u>5,30,534.64</u>

